



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

प्रमुख कार्यक्रमों
के
परिणाम बजट 2011-2012

**Outcome Budgets 2011-2012
of the
Flagship Programmes**

वित्त मंत्रालय
मार्च 2011

**Ministry of Finance
March 2011**

प्रस्तावना

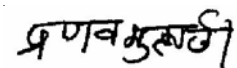
जैसा कि मेरे बजट भाषण में उल्लेख है, मैं बजट 2011-12 को भारत में आर्थिक प्रबंधन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में संक्रमण के रूप में देखता हूँ। हमारी वास्तविक चुनौतियाँ हैं- कार्यान्वयन में अंतराल, सार्वजनिक कार्यक्रमों से लीकेज और परिणामों की गुणवत्ता। हम कराधान, व्यापार और टैरिफ से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल करने तथा इलैक्ट्रॉनिक इंटरफेस संबंधी सामाजिक अंतरण, विवेक और अफसरशाही विलंब से मुक्त वातावरण बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। इससे नई सजीव तथा और अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा।

संप्रग सरकार ने अपना सारा ध्यान समग्र विकास पर केंद्रित करते हुए सरकारी नीति में प्रमुख दिशात्मक परिवर्तन की योजना बनाई है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार अधिकार हेतु कानूनी हकदारी देने से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लचीलापन और गतिशीलता आई है। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सशक्तीकरण के कारगर उपाय हैं। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप देने वाली है। 2011-12 में सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,60,887 करोड़ रुपए का प्रस्तावित आबंटन चालू वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। यह सकल योजना आबंटन का 36.4 प्रतिशत बैठता है। भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु किए गए योजना आबंटन में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करके 58,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

फ्लैगशिप स्कीमें समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए उच्च परिव्यय आवश्यक हैं, फिर भी सरकारी स्कीमों की वास्तविक प्रभावकारिता और प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से परिणामों को भी तत्काल आंकने की जरूरत है। परिव्यय के बजाए परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 से आउटकम बजटिंग की शुरुआत की गई है ताकि सभी स्कीमों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

साथ ही साथ, सरकार ने अपने जनादेशी कार्यों में निष्पादन मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) तैयार की है ताकि सरकारी विभागों की प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। इसमें प्रत्येक विभाग द्वारा परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करना, वित्तीय वर्ष के लिए इसके उद्देश्यों और प्राथमिकताओं तथा वर्ष के अंत में पूर्व-विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों को विशेष रूप से दर्शाना शामिल है। यह दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के लिए उपलब्ध होगा।

पिछले कुछ वर्षों की भांति, संप्रग सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लक्षित परिणामों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए तत्काल संदर्भ के लिए एक संकलन तैयार किया गया है। संक्षेप में, यह वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित परिणामों के लक्ष्यों, परिमाणनीय डिलीवरेबल्स/वास्तविक आउटपुट तथा इन कार्यक्रमों, जिन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, की डिलीवरी प्रणाली से संबंधित संस्थागत सुधारों को दर्शाता है। निःसंदेह पूरा ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखे अलग-अलग आउटकम बजट दस्तावेजों में उपलब्ध होगा।



(प्रणब मुखर्जी)
वित्त मंत्री

नई दिल्ली,
14 मार्च, 2011

विषय सूची

कार्यक्रम	मांग संख्या	पृष्ठ संख्या
‘भारत निर्माण’		
ग्रामीण टेलीफोनी	14	01
ग्रामीण विद्युतीकरण	75	03
ग्रामीण सड़कें	82	04
ग्रामीण आवास	82	05
पेयजल	84	05
सिंचाई	104	06
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	101	07
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	46	10
सर्व शिक्षा अभियान	58	14
साक्षर भारत	58	16
राष्ट्रीय मिड-डे मील स्कीम कार्यक्रम	58	18
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	105	21
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम	82	24
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	84	26
पूर्ण स्वच्छता अभियान	84	27

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार विकास का विशेष महत्व है, चूंकि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। किसी भी क्षेत्र के विकास में दूरसंचार विकास और समग्र आर्थिक विकास के बीच मजबूत दो-तरफा सह-संबंध होता है। दूरसंचार सेवाएं विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी तथा ग्रामीण इलाकों को देश के शेष इलाकों के साथ जोड़ने के महत्वपूर्ण साधन हैं।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रारंभ में जनता तक ये सेवाएं पहुंचाने पर ध्यान दिया गया था। जनता की सार्वजनिक टेलिफोनों तक पहुंच, ग्राम पब्लिक टेलिफोनों, ग्रामीण सामुदायिक फोनों और मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम.ए.आर.आर.) टेलिफोनों की प्रतिस्थापना के जरिए हुई। ग्राम पब्लिक टेलिफोन (वी.पी.टी.) घटक भारत सरकार के फ्लैगशिप "भारत निर्माण" कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें 66822 गैर शामिल गांवों (संशोधित संख्या 62302) को शामिल किया जाना था। 31.12.2010 तक इन गैर शामिल गांवों में 61985 वी.पी.टी. मुहैया कराए गए हैं। शेष 317 ग्राम पब्लिक टेलिफोनों में से मार्च, 2011 तक 50 तथा शेष 267 वी.पी.टी. 2011-2012 में मुहैया कराए जाएंगे।

भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1885 को दिसम्बर, 2006 में संशोधित किया गया था ताकि सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यू.एस.ओ.एफ.) से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल टेलिफोनी को सहायता दी जा सके। यू.एस.ओ.एफ. को अधिकांश कार्यक्रमों को कवर करने योग्य बनाने के लिए भारतीय टेलिग्राफ नियमों में संशोधन किया गया है तथा इनमें मोबाइल सेवाओं, ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क तथा ग्रामीण और सुदूर इलाकों में सामान्य अवसंरचना के सुदृढीकरण का प्रावधान शामिल है।

अवसंरचना स्थलों की स्थापना और प्रबंधन तथा ग्रामीण और सुदूर इलाकों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु करार पहले ही किया जा चुका है तथा यह स्कीम 01.06.2007 को शुरू कर दी गई है। इस स्कीम में संपूर्ण देश के 500 से अधिक जिलों में फैले 81 समूहों के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में, जहां इस समय कोई फिक्सड वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, 7871 (संशोधित संख्या 7363 टावर लगाना शामिल है)। प्रत्येक टावर तीन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा शेयर की जा रही है। इस स्कीम के तहत 31 दिसम्बर, 2010 तक 7236 टावर लगाए जा चुके हैं। शेष 127 टावर मार्च, 2011 तक स्थापित किए जाने हैं।

ग्रामीण ब्रॉडबैंड जुड़ाव से ग्रामीण एवं सुदूर इलाकों में डी.आई.टी., ग्राम पंचायतें, हायर सैकेंडरी स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा स्थापित किए जा रहे आम सेवा केन्द्र (सी.एस.सीज़) तथा वैयक्तिक उपभोक्ता शामिल होंगे। इससे ई-गवर्नेंस की आवश्यकता भी पूरी होगी। इस स्कीम के तहत पाँच वर्ष की अवधि अर्थात् 2014 तक मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंजों की अवसंरचना तथा वायरलैस नेटवर्क का लाभ उठाकर निजी उपभोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। इस स्कीम के तहत दिसम्बर, 2010 से 253084 ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 670 कियोस्क मुहैया कराए गए हैं।

यू.एस.ओ.एफ. कार्यक्रमों के लिए बजट अनुमान 2011-12 में 2100 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है। यू.एस.ओ. कार्यक्रमों (ग्रामीण टेलिफोनी सहित) के लिए निधियों की आवश्यकता तथा अनुमानित परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

ग्रामीण टेलीफोन

क्रम सं.	स्कीम	वित्तीय परिचय 2011-12 (करोड़ रुपये में)	परिमाणनीय उत्पाद/वास्तविक आउटपुट (2011-12)
1	मौजूदा वी.पी.टी. का संचालन और रख-रखाव।	2.25	-
2	एम.ए.आर.आर., वी.पी.टी. की प्रतिस्थापना।	151.01	-
3	आर.सी.पी. (रख-रखाव सहित) का प्रावधान।	6.20	-

क्रम सं.	स्कीम	वित्तीय परिव्यय 2011-12 (करोड़ रुपए में)	परिमाणनीय उत्पाद/वास्तविक आउटपुट (2011-12)
4	गैर सम्मिलित गांवों में वी.पी.टी. ।	18.70	267
5	दिनांक 01.04.2002 और 31.03.2005 के बीच स्थापित ग्रामीण परिवार डी.ई.एल्स (उनका रखरखाव) ।	0.75	-
6	दिनांक 01.04.2005 और 31.03.2007 के बीच स्थापित ग्रामीण परिवार आर.डी.ई.एल्स (31.03.2010 तक बढ़ाया गया) (उनका रख-रखाव)	26.00	-
7	साझा अवसंरचना सहायता (टावर्स और मोबाइल सेवाएं) चरण-I	89.75	-
8	2001 की जनगणना के अनुसार नए अभिज्ञात गैर सम्मिलित गांवों में वी.पी.टी. ।	194.00	14160
9	दिनांक 01.04.2002 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन परिवार आर.ई.एल. के लिए सहायता ।	1092	-
10	ग्रामीण और सुदूर इलाकों में वायरलाइन ब्राडबैंड संयोजन।	166.50	2.5 लाख ब्राडबैंड कनेक्शन 5000 कियोस्क
11	प्रायोगिक परियोजनाएं	2.50	-
12	नवीकरणीय ऊर्जा	1.50	20 स्थल
13	सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले मोबाइल स्टेशन	-	1000 गांव
14	ग्रामीण और सुदूर इलाकों में वायरलैस ब्राडबैंड संयोजन	300	50000 गांव
15	ग्रामीण और सुदूर इलाकों में सैटेलाइट ब्राडबैंड संयोजन	1.00	100 ब्रोड बैंड कनेक्शन
16	असम सेवा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केवल (ओ.एफ.सी.)	49.50	पूर्ण 254 ओएफसी नोड
17	असम से इतर क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केवल (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क	4.65	पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50 ओएफसी नोड और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.)

सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण की यह स्कीम अप्रैल, 2005 में शुरू की गई थी। ग्रामीण भारत को सही अर्थों में शक्ति संपन्न बनाने तथा इसकी विकास की संपूर्ण क्षमता के दोहन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना को सुधारना बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) है। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण आधार, ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वी.ई.आई.) के सृजन, तथा विकेन्द्रीकृत डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन (डी.डी.जी.) तथा सप्लाई के प्रावधान के लिए 90 प्रतिशत पूंजी-सब्सिडी के साथ परियोजना को वित्तपोषित किया जाता है। आर.ई.डी.बी., वी.ई.आई., डी.डी.जी. से खेती की विद्युत जरूरतों तथा अन्य गतिविधियों जिसमें सिंचाई के पम्पसेट, छोटे तथा मझौले उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योगों, शीतगृहों स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं, को भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। बी.पी.एल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रतिपूर्ति की दर प्रति घर 2,200/रुपए है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्यान्वयन

	आरजीजीवाई की व्यक्ति	मार्च 2012 तक आरजीजीवाई के तहत भारत निर्माण लक्ष्य	31.01.2011 तक समग्र उपलब्धि	वर्ष 2010-11 के लिए 31.01.2011 को समाप्त तिमाही में उपलब्धि
विद्युतीकरण के लिए कुल गांव	118499	100000	90,593	12,337
सम्मिलित बी.पी.एल. परिवार	246.45 लाख	175 लाख	143.15 लाख	42.18 लाख

उपलब्धियां

वर्ष 2010-11 के दौरान 31 जनवरी, 2011 तक 12,337 गांवों के विद्युतीकरण और 42,18,682 बी.पी.एल. परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। संचित उपलब्धि 90,593 गांवों का विद्युतीकरण और 1,43,15,708 बी.पी.एल. परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करना है।

वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित परिणाम

वर्ष 2011-12 का बजट आबंटन 6000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 में 15,500 बिना बिजली वाले घरों को बिजली देने तथा लगभग 47 लाख बी.पी.एल. परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इससे संपूर्ण विकास, रोजगार सृजन और गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) की शुरुआत 25 दिसम्बर, 2000 को 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तौर पर की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पक्की सड़कों के माध्यम से 500 और उससे अधिक व्यक्तियों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ऐसी बस्तियों के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना है जो अभी तक जुड़ी नहीं हैं। पर्वतीय (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड), आदिवासी (अनुसूची-5) क्षेत्रों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों (मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में यथा अभिनिर्धारित) के संबंध में 250 और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ना है। अभी हाल में इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि इस कार्यक्रम का लाभ गृह मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 250 अथवा इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके।

1,000 तथा इससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में {पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक (अनुसूची-5)} पक्की सड़क उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है। इस कार्यक्रम में एक उन्नयन घटक भी है जिसमें विद्यमान ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली 40 प्रतिशत नवीकरण ग्रामीण सड़कों सहित) की 1.94 लाख कि.मी. लंबी सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था ताकि खेती से बाजार को पूर्णतः जोड़ा जा सके। राज्यों द्वारा जमीनी सत्यापन के आधार पर मार्च, 2012 तक भारत निर्माण के अंतर्गत 54,648 बस्तियों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2005-11 के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 76,613.77 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। दिसम्बर, 2010 तक भारत निर्माण के तहत किए जाने और सड़कों के निर्माण (नई सड़क संपर्क तथा स्तरोन्नयन दोनों के लिए) के क्षेत्र में समग्र प्रगति इस प्रकार है:-

	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर, 2010 तक)
शामिल किए जाने के लिए बिना सड़क संपर्क वाली बस्तियां	54,648	38,575 (71%)
निर्मित की जाने वाली सड़क लंबाई	1,46,185	1,17,105 (80%)
विद्यमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	1,94,130	2,15,607 (111%)

इसके अतिरिक्त, 14,995 बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

पी.एम.जी.एस.वाई. में वर्ष 2010-11 के लिए आबंटन 22,000 करोड़ रुपए है जिसमें 890 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता (विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से) शामिल हैं। चालू वर्ष (2010-11) के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 4,000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने और कुल 34,090 कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है।

वर्ष 2011-12 के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 25,000 कि.मी. नई संपर्क सड़कों के साथ 8000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, खेतों से बाजार के लिए बेहतर सड़क संपर्क हेतु मौजूदा 25,000 कि.मी. ग्रामीण सड़कों के स्तरोन्नयन का प्रस्ताव है।

ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना)

इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आश्रयहीन ग्रामीण परिवारों को अपने आवासीय मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। नए मकान के निर्माण के लिए अधिकतम सीमा मैदानी इलाकों में 45,000 रुपये प्रति मकान और पहाड़ी/दुर्गम इलाकों में 48,500 रुपये प्रति मकान है।

केंद्र एवं राज्यों द्वारा स्कीम के तहत 75:25 के अनुपात में अनुदान जारी किए जाते हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच निधियां केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा 90:10 के अनुपात में शेयर की जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र शत-प्रतिशत सहायता मुहैया कराता है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे अनु.जाति/अनु.जनजाति के परिवारों के लिए मकानों हेतु अपेक्षित है। इसी प्रकार, आई.ए.वाई की 3 प्रतिशत राशि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है। 2006-07 से 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित की जा रही है। आवासीय इकाई का आबंटन आमतौर पर लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाता है।

चूंकि 2005-06 से आईएवाई "भारत निर्माण" कार्यक्रम का हिस्सा बना है इसके अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की चार वर्षों की अवधि में इंदिरा आवास योजना के जरिए 60 लाख मकानों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में 71.76 लाख मकानों का निर्माण किया गया जो लक्ष्य से अधिक है। "भारत निर्माण" चरण-II के लिए वास्तविक लक्ष्य चालू वर्ष 2009-10 से शुरू करके पाँच वर्षों की अवधि में 120 लाख मकानों के निर्माण का है। वर्ष 2009-10 के दौरान 33.86 लाख मकानों का निर्माण हुआ तथा चालू वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक लक्ष्य 29.09 लाख मकानों का निर्माण करना है। अतः "भारत निर्माण" कार्यक्रम चरण-II के पहले दो वर्षों के दौरान 63 लाख मकानों के निर्माण होने की संभावना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कृपया पृष्ठ 26 पर देखें)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय परियोजना

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की शुरुआत 1996-97 में राज्यों को ऋण सहायता देने के लिए की गई थी, ताकि उनको उन कुछ अधूरी पड़ी बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिल सके जो पूरा होने की कगार पर थीं तथा साथ ही देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्य सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलांगीर तथा कालाहांडी जिलों की सतही छोटी सिंचाई स्कीमों को भी केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) प्रदान की गई है। अप्रैल, 2004 से केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य स्कीमों की तरह इस कार्यक्रम में अनुदान घटक की शुरुआत की गई है। दिसम्बर, 2006 से प्रभावी मौजूदा ए.आई.बी.पी. मानदंड के अनुसार, गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा विशेष वर्ग के राज्यों (उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलांगीर तथा कालाहांडी जिलों समेत) में बड़ी/मध्यम/छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के बराबर अनुदान चुनिंदा परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। गैर-विशेष वर्ग के राज्यों में सिंचाई की छोटी स्कीमें यदि सूखा संभावित/आदिवासी क्षेत्रों में पड़ती हैं, उनको विशेष वर्ग के राज्यों के समान ही मानकर परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के बराबर अनुदान जारी किए जाते हैं। बड़ी और मध्यम परियोजनाएं जो सूखा संभावित/आदिवासी क्षेत्रों तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सिंचाई लाभ प्रदान कर रही हैं वे भी परियोजना लागत के 90 प्रतिशत अनुदान की हकदार हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत से 01.02.2011 तक 286 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 12104 सतही छोटी सिंचाई स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को 44574.515 करोड़ रुपए की राशि ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में दी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद से अब तक 129 बड़ी/मध्यम तथा 8140 सतही छोटी स्कीमों को पूरा किया जा चुका है। मार्च, 2009 तक बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.486 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की गई तथा सतही छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 0.454 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान मार्च, 2010 तक 9.82 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिए जाने का अनुमान है।

ए.आई.बी.पी. के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूखा संभावित/जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल के कृषि संबंधी विपदाग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में सम्मिलित परियोजनाओं तथा राज्यों की उन परियोजनाओं को जिनका सिंचाई संबंधी विकास राष्ट्रीय औसत से कम है उनको ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करने के वन-टू-वन मानदंड में छूट देते हुए ए.आई.बी.पी. में शामिल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र के कृषि संबंधी विपदाग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरुआत में शामिल की गई 65 बड़ी/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 40 परियोजनाएं ए.आई.बी.पी. के तहत वित्तपोषित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए अभी तक 5155.1307 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है।

वर्ष 2010-11 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एआईबीपी हेतु 9200 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) को वर्ष 2005-06 में मौजूदा नागरिक सेवाओं के स्तर में वहनीय तथा स्थायी सुधार लाने में शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत दो उप-मिशन इस प्रकार हैं:-

- (i) शहरी आधारभूत संरचना और शासन
- (ii) शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाएं

I. शहरी आधारभूत संरचना तथा शासन

शहरी आधारभूत संरचना तथा शासन नाम के इस उप-मिशन में शामिल घटकों में शहरी नवीकरण, जलापूर्ति (विलवणीकरण संयंत्रों सहित), सफाई, सीवेज तथा ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन, पुरातात्विक स्थलों का विकास, जल स्रोतों का संरक्षण आदि शामिल है। फरवरी, 2009 में जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) के लिए आबंटन को 25,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 31,500 करोड़ रुपए तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास स्कीम) के लिए 6,400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

इस मिशन में द्विस्तरीय कार्यनीति का पालन किया जाता है:-

- (i) पहले स्तर में 65 अभिनिर्धारित शहरों में एकीकृत विकास के लिए मुख्य मिशन (जे.एन. एन. यू.आर.एम.) शामिल हैं।
- (ii) दूसरे स्तर में अन्य शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. शामिल हैं।

यू.आई.जी. के तहत सहायता पाने के लिए शहरों को नगर विकास योजनाएं (सी.डी.पी.) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करनी होती हैं तथा राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस समझौता ज्ञापन में राज्य तथा यू.एल.बी. के स्तरों पर सुधारों को लागू करने की प्रतिबद्धता और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

यू.आई.जी. के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति

शहरों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और उनकी श्रेणी आदि के आधार पर निधियां निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं:

शहरों की श्रेणी	केन्द्र का हिस्सा (अनुदान)	लाभार्थी के अनुदान सहित राज्य/यूएलबी/परास्टेल का हिस्सा
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर	35%	65%
2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के शहर/कस्बे	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%

(ख) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत केन्द्र के 80 प्रतिशत हिस्से के साथ वित्तपोषण की पद्धति 80:10:10 है तथा राज्य और यू.एल.बी. का हिस्सा 10-10 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में वित्तपोषण की यह पद्धति 90:10 है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत तथा राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा दो किस्तों में धनराशि जारी की जाती है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. की शुरुआत से यू.आई.जी. तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत प्रगति का ब्यौरा:

2005-06 से संचयी (31.01.2011 तक)

क्रम. सं.	मद	यूआईजी	यूआईडीएसएसएमटी
1.	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	526	764
2.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	60,215.44 करोड़ रुपए	12928.93 करोड़ रुपए
3.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गईं (31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से)	30	31
4.	शहरों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गईं	62	641
5.	कुल प्रतिबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	27878.33 करोड़ रुपए	10435.93 करोड़ रुपए
6.	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (ए.सी.ए.)	11935.65 करोड़ रुपए	7126.71 करोड़ रुपए

परिणाम (यू.आई.जी. एवं यूआईडीएसएसएमटी)

- o 65 मिशन शहरों ने शहरी गवर्नेंस और विकास में दीर्घकालिक दृष्टि एवं लक्ष्यों की योजना तैयार करते हुए व्यापक शहर विकास योजनाएं तैयार कर ली हैं। इन योजनाओं में निवेश योजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें संपूर्ण शहर में जलापूर्ति, स्वच्छता, जल-निकासी और शहरी निर्धनों हेतु मूलभूत सेवाओं के प्रावधान जैसी शहरी अवसंरचना सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है।
- o राज्यों एवं शहरों द्वारा शुरु की जाने वाली सुधार कार्यसूची के संबंध में समझौता ज्ञापन पर वार्ता हुई तथा 65 मिशन शहरों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए।
- o 31 जनवरी, 2011 तक, यू.आई.जी. के तहत जलापूर्ति, सड़क फ्लाई ओवरों/आर.ओ.बी., नालियों/जल निकासी, सीवेज, शहरी नवीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 84 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो गया था तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, शहरी नवीकरण, जल स्रोतों और सड़क क्षेत्र से संबंधित 126 परियोजनाएं पूरी की गईं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बेहतर जल आपूर्ति, उन्नत सड़क नेटवर्क, बेहतर जल निकासी एवं मल जल निकासी प्रणाली आदि की व्यवस्था करना है।

II. शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी.)

झुग्गीवासियों के लिए आवास एवं मूलभूत सेवाओं एकीकृत विकास हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं से संबंधित उपमिशन तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम शुरु किए गए थे। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत केन्द्रीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति (बी.एस.यू.पी. के लिए) और केन्द्रीय संस्वीकृति समिति (आई.एच.एस.डी.पी. के लिए) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र का हिस्सा वित्त मंत्रालय (राज्यों को) और गृह मंत्रालय (संघ राज्य क्षेत्रों को) से जारी किया जाता है। दिसम्बर, 2005 में जेएनएनयूआरएम की शुरुआत के बाद और दिनांक 31.12.2010 तक बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत कुल 1443 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 1543747 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 373381 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा 455524 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों के लिए कुल 3373.03 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 24.12.2010 की स्थिति के अनुसार 1203.45 करोड़ रु. जारी किए जाने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। इसी अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 500.74 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

वित्तपोषण

केन्द्रीय धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान के रूप में) जारी की जाती है। परियोजनाओं का वित्तपोषण निम्नप्रकार है:-

शहरों की श्रेणी	केन्द्र का हिस्सा (अनुदान)	राज्य/यूएलबी/पैरास्टेटल का हिस्सा जिसमें लाभार्थी अंशदान शामिल है
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या	50%	50%
2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के शहर/कस्बे	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%

आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार/यू.एल.बी/पैरास्टेटल्स के बीच निधियों के बंटवारे का अनुपात 80:20 है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण पद्धति 90:10 के अनुपात में होगी। केन्द्रीय धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान) के रूप में जारी की जाती है। बीएसयूपी की तरह केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए तृपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक आवश्यक शर्त है।

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लाभार्थी

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी झुगियों में रहने वाले और शहरी निर्धन हैं। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत न्यूनतम 12 प्रतिशित लाभार्थी अंशदान नियत किय गया है जबकि अ0जा0/अ0ज0जा0/ अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में यह 10 प्रतिशित है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत, नीतिगत पहल के तौर पर बी.एस.यू.पी. के एक भाग के रूप में "भागीदारी में सस्ते आवास" नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित बजट आबंटन 3373.03 करोड़ रुपए (बी.एस.यू.पी. के तहत 2357.60 करोड़ रुपए और आई.एच.एस.डी.पी. के तहत 1015.43 करोड़ रुपए) है।

बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्रगति का ब्यौरा

1. वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान (1.4.2009 से 31.3.2010 तक):

	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी
1. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	14	118
2. कुल अनुमोदित परियोजना लागत	1400.34 करोड़ रुपए	999.66 करोड़ रुपए
3. निर्माण/स्तरोन्नयन हेतु अनुमोदित आवासीय इकाइयों की संख्या	29105	46655
4. जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (परियोजना प्रबंधन इकाइयों, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों आदि सहित कुल)	1338.37 करोड़ रुपए	780.72 करोड़ रुपए
5. शामिल राज्य	5	18
6. शामिल शहर	9	114

2. (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रथम 9 महीनों (01.04.2010 से 9.2.2011) के दौरान निष्पादन :

	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी
1. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	6	34
2. कुल अनुमोदित परियोजना लागत	1622.33 करोड़ रुपए	582.28 करोड़ रुपए
3. निर्माण/स्तरोन्नयन हेतु अनुमोदित डी.यू.आवासीय इकाइयों की संख्या	32194	21933
4. जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (परियोजना प्रबंधन इकाइयों, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों आदि सहित कुल)	1197.56 करोड़ रुपए	447.04 करोड़ रुपए
5. शामिल राज्य	3	4
6. शामिल शहर	3	34

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

लक्ष्य तथा रणनीति

अप्रैल, 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य ग्रामीण निर्धनों को सुलभ, वहनीय और जवाबदेह अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना है। मिशन के लक्ष्यों में जच्चा और बच्चा मृत्यु दर में कमी लाना, जन स्वास्थ्य सेवाओं तक जनसामान्य की पहुंच, संक्रामक और असंक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उन पर नियंत्रण, जनसंख्या स्थिरीकरण, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनः जीवित करना, आयुष को सर्वस्वीकार्य बनाना तथा स्वस्थ जीवनचर्या को बढ़ावा देना शामिल है।

इस मिशन का ध्यान मुख्य तौर पर सभी स्तरों पर, अंतर्देशीय कनवर्जेस के साथ पूर्णतः कार्यात्मक, समुदाय स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने पर है। एन.आर.एच.एम. अपना ध्यान रोग केन्द्रित दृष्टिकोण से हटाकर कार्यात्मक सेवा प्रणाली पर संकेन्द्रित करने का प्रयास कर रहा है। मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नियत लक्ष्यों को पाने तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का है।

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत मिशन के समाप्त होने अर्थात् वर्ष 2012 तक निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना नियत किया गया है :

- वर्ष 2012 तक शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को घटाकर 30/1000 तक सीमित करना।
- जच्चा मृत्यु-दर को 2012 तक 100/100,000 जीवित जन्मों तक कम करना।
- वर्ष 2012 तक टी.एफ.आर. को 2.1 तक कम करना।
- मलेरिया मृत्यु कटौती दर- 2010 तक 50 प्रतिशत, 2012 तक अतिरिक्त 10 प्रतिशत।
- कालाजार मृत्यु कटौती दर- 2010 तक 100 प्रतिशत समाप्त करना तथा 2012 तक इस स्थिति को बनाए रखना।
- फाइलेरिया/माइक्रोफाइलेरिया कटौती दर- 2010 तक 70 प्रतिशत, 2012 तक 80 प्रतिशत तथा 2015 तक समाप्त करना।
- डेंगू मृत्यु कटौती दर - 2010 तक 50 प्रतिशत तथा इस स्तर को 2012 तक बनाए रखना।
- वर्ष 2012 तक मोतियाबिन्द शल्यक्रियाओं को 46 लाख तक बढ़ाना।
- कुष्ठरोग प्रसार दर को वर्ष 2005 में प्रति 10,000 में 1.0 तथा उसके बाद प्रति 10,000 में 1 से भी कम तक कटौती करना।
- तपेदिक डॉट्स श्रृंखला- समग्र मिशन अवधि के दौरान उपचार दर को 85 प्रतिशत बनाए रखना तथा सुनियोजित मामला पता लगाने की दर को भी बनाए रखना।
- सभी समुदाय सेवा केन्द्रों को भारतीय सार्वजनिक सेवा मानकों के बराबर समुन्नत करना।
- बैड ऑक्सीपेंसी से पहली संदर्भित इकाइयों की उपयोगिता को 20 प्रतिशत से कम संदर्भित मामलों से बढ़ाकर 75 प्रतिशत से अधिक करना।
- 6,00,000 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ताओं (आशा) को काम पर लगाना।

ग्यारहवीं योजना के दौरान एनआरएचएम के लिए कुल परिव्यय 90558 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत एन.आर.एच.एम. के लिए वर्ष 2011-12 के लिए कुल परिव्यय 17840 करोड़ रुपए है।

"एन.आर.एच.एम." फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत तक किया गया व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

2005-06	-	6284.58 करोड़ रुपए
2006-07	-	7486.62 करोड़ रुपए
2007-08	-	10380.40 करोड़ रुपए
2008-09	-	11260.18 करोड़ रुपए
2009-10	-	13305.76 करोड़ रुपए
2010-11	-	11927.12 करोड़ रुपए (24 फरवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार-अनंतिम)

वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय प्रावधान मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नवीनतम सूचना के आधार पर प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. मिशन फ्लैक्सी पूल (5590 करोड़ रुपए) का उद्देश्य सांस्थानिक संरचना को मजबूती देने तथा समुदाय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बीच जमीनी स्तर पर प्रभावी संपर्क बनाने की है। एक कड़ी के तौर पर कार्यरत अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन और उनका प्रशिक्षण बेहद अहम है। दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 8.43 लाख "आशा" कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है तथा 8.06 लाख से अधिक को मॉड्यूल-I, 7.35 लाख को मॉड्यूल- II, 6.83 लाख को मॉड्यूल- III, 6.7 लाख को मॉड्यूल- IV तथा 3.46 लाख को मॉड्यूल- V में प्रशिक्षित किया गया। 6.12 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के पश्चात ड्रग किट देकर नियुक्त किया गया है। रोगी कल्याण समितियों को 599 जिला हस्पतालों में, 4210 सामुदायिक सेवा केन्द्रों/उप-मंडलीय हस्पतालों में तथा 17097 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापित किया गया है।

चल चिकित्सा इकाइयां 381 जिलों में कार्य कर रही हैं। 1.45 लाख उप-केन्द्रों को खुली निधियों के उपयोग से, औषधियों को उपलब्ध कराने, दाइयों (ए.एन.एम.) को ठेके पर नियुक्त करके अधिक प्रभावी बनाया गया। 9120 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सातों दिन तथा चौबीस घंटे कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं पर मानव संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए 9856 डाक्टर जिनमें विशेषज्ञ तथा 26734 स्टाफ नर्सों को ठेके पर नियुक्त किया गया है।

2. पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (691 करोड़ रुपए) का उद्देश्य पोलियो को मिटाना है। देश में वाईवैलेंट टीके (बीओपीवी) की शुरुआत से तथा वर्ष 2009 में 741 पोलियो मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में इन मामलों में आई कमी के कारण इनके 42 रह जाने पर वर्ष 2010 पोलियो उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत से आज तक यह देश में पोलियो के लिए दर्ज किए गए मामलों में सबसे कम संख्या है। वर्ष 2010 में 2 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) तथा 6 उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाए गए। एनआईडी के दौरान लगभग 170 मिलियन बच्चे तथा एसएनआईडी के दौरान 40-80 मिलियन बच्चों को कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वाइल्ड टाइप पोलियो वाइरस मामलों की पहचान की प्रतिक्रिया में विस्तृत स्तर पर बहु-जिला मोप-उपस का आयोजन किया गया।

3. नेमी टीकाकरण (541 करोड़ रुपए) का उद्देश्य वैक्सीन नियंत्रित बीमारियों के कारण रुग्णता और मृत्यु को कम करना है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की वर्ष 2010-11 (जनवरी 2011 तक) की रिपोर्ट के अनुसार उपलब्धियां इस प्रकार हैं: बीसीजी- 71.4 प्रतिशत, चेचक- 87.3 प्रतिशत, डीपीटी 3- 87.4 तथा ओपीवी - 87.4 प्रतिशत। यह निर्णय लिया गया है कि हैपिटाइटिस-बी टीकाकरण का विस्तार देश भर में किया जाए। जापानी एन्सीफैलाइटिस टीकाकरण 100 जिलों में पूरा हो चुका है तथा इसे नौ और जिलों में किया जाएगा।

4. आर.सी.एच. फ्लेक्सीबल पूल (4300 करोड़ रुपए) का उद्देश्य कार्यक्रमों को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने तथा प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए राज्यों को प्रचालनात्मक सहायता देना है ताकि एम.एम.आर., आई.एम.आर. और टी.एफ.आर. को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना के तहत 2009-10 में 100.78 लाख लाभानुभोगियों तथा 2010-11 में (सितम्बर, 2010 तक) 50.29 लाख लाभानुभोगियों को नकद सहायता मुहैया कराई गई है।

5. सूचना, शिक्षा तथा दूरसंचार (180 करोड़ रुपए) लक्षित समूहों के भीतर संकेन्द्रित पारस्परिक क्रिया के साथ मल्टीमीडिया के माध्यम से व्यावहारिक बदलाव पाने के लिए दूरसंचार रणनीति पर ध्यान दिया जाता है। मुख्य गतिविधियों में एन.आर.एच.एम. की टी.वी., रेडियो के माध्यम से ब्रांडिंग, सैटेलाइट तथा निजी चैनलों का प्रभावी इस्तेमाल, राज्य तथा जिला स्तर पर नवीन आई.ई.सी. नीतियों का उपयोग, एन.आर.एच.एम. न्यूज लैटर तथा प्रभावी संप्रेषण के लिए अन्तः संचार मॉडल की शुरुआत शामिल है।

6. आधारभूत ढांचे का रख-रखाव (4280 करोड़ रुपए): आधारभूत ढांचे का रख-रखाव के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इन स्कीमों के लिए सहायता अनुदान जारी की गई है (i) निदेश एवं प्रशासन (राज्य एवं जिला परिवार कल्याण ब्यूरो), (ii) उप केन्द्रों का रखरखाव (ए.एन.एम./एल.एच.वी का वेतन), (iii) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, (iv) शहरी पुनरोद्धार स्कीम (हेल्थ पोस्ट्स), (v) ए.एन.एम./एल.एच.वी का प्रशिक्षण, (vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण (एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सीज़) तथा (vii) एम.पी.डब्ल्यू (पुरुष) का प्रशिक्षण।

2. रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(क) राष्ट्रीय वैक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम (520 करोड़ रुपए)

मलेरिया- 2010 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक मलेरिया के 1.5 मिलियन मामलों के साथ 767 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली। मलेरिया को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

लिम्फेटिक फाइलेरिया- लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु, फाइलेरिया ग्रस्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक व्यापक दवा व्यवस्था की शुरुआत की गई। वर्ष 2009 के दौरान असम तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक दवा व्यवस्था कार्यान्वित की गई। लक्षित आबादी की तुलना में एमडीए की कवरेज इन राज्यों में 86.61 प्रतिशत है। 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमडीए 2010 राउंड पूरा किया जा चुका है।

जापानी एनसेफलाइटिस- वर्ष 2009 के दौरान एक्यूट एनसेफलाइटिस सिन्ड्रोम (ईएस) के 4482 मामले सामने आए तथा इसके कारण 774 लोगों की जान गई। वर्ष 2010 में (दिसम्बर तक) ईएस के 5141 मामले सामने आए तथा 682 लोगों की जान गई। प्रकोपों की आवृत्ति तथा मामला मृत्यु दर (सी.एफ.आर.) में कमी लाने के लिए 50 निगरानी स्थलों की स्थापना के माध्यम से जांच को और गहन किया गया है।

डेंगू/चिकनगुनिया- डेंगू/चिकनगुनिया के प्रकोपों की आवृत्ति तथा मामला मृत्यु दर (सीएफआर) में कमी लाने के लिए विभिन्न निगरानी अस्पतालों की स्थापना की गई तथा इसे अन्य अस्पतालों में भी शुरू कर इसका विस्तार अन्य अस्पतालों में भी किया जा रहा है।

कालाजार- कालाजार 4 स्थानिक राज्यों यथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में फैला हुआ है। वर्ष 2010 (दिसम्बर, 2010 तक अनंतिम) में कालाजार के 28382 मामले सामने आए तथा 98 लोगों की इससे जान गई। कालाजार के नए मामलों का पता लगाने और उनका पूरा उपचार करने के लिए गहन प्रयास किए गए थे।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (44.02 करोड़ रुपए)

32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पहले से ही कुष्ठरोग से निजात पा ली है। (अर्थात: प्रति 10,000 की आबादी पर 1 से कम प्रचलित दर की प्राप्ति)। शेष तीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़ और दादर एवं नगर हवेली की प्रसार दर प्रति 10000 जनसंख्या में 1 से अधिक की है।

(ग) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (400 करोड़ रुपए)

वर्ष 2009-10 दौरान, कार्यक्रम ने 72 प्रतिशत से अधिक दर से कफ पॉजिटिव के नए मामलों की पहचान और 87 प्रतिशत की सफलता दर से उपचार की उपलब्धि हासिल की है जो टीबी नियंत्रण के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है।

(घ) समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (63 करोड़ रुपए)

राज्य निगरानी इकाइयां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित हैं, इस प्रकार समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम संपूर्ण देश में चल रहा है।

(ङ) राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (290 करोड़ रुपए)

वर्ष 2009-10 के दौरान 95 प्रतिशत आई.ओ.एल. इम्प्लान्टेशन के साथ 59.06 लाख मोतियाबिंद की शल्यक्रियाएं की गईं, दृष्टिदोष वाले स्कूली बच्चों को 5.05 लाख चश्मे निःशुल्क मुहैया कराए गए हैं, कोरनियल एम्प्लान्टेशन के लिए लगभग 46,589 नेत्रों का दान एकत्रित किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान (31 दिसम्बर, 2010 तक) 95 प्रतिशत आईओएल इम्प्लान्टेशन के साथ 27 लाख मोतियाबिंद की शल्यक्रियाएं की गईं, दृष्टिदोष वाले स्कूली बच्चों को 1.13 लाख चश्मे निःशुल्क मुहैया कराए गए हैं, कोरनियल एम्प्लान्टेशन के लिए लगभग 22000 नेत्रों का दान एकत्रित किया गया।

वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित परिणाम (मार्च, 2012 तक प्राप्त किए जाने के लिए)

- सभी गांवों में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन किया जाना है तथा उन्हें असंबद्ध निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- संस्थागत सुपुर्दगियों के लिए अभिचिह्नित उप-केंद्रों में दूसरा एएनएम उपलब्ध करवाया जाएगा ।
- वर्ष 2011-12 के दौरान 1300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे संचालित किया जाएगा ।
- 500 सी.एच.सीज़ को प्रथम रेफरल यूनिट तक स्तरोन्नत किया जाएगा ।
- सभी जिला अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाएगा ।
- 1000 डाक्टरों, 2500 स्टाफ नर्स, 1000 पैरामेडिकल स्टाफ को ठेके पर रखा जाएगा ।
- शेष सुविधाओं में पीएचसी अथवा इससे ऊपर के स्तर पर अस्पताल विकास समितियों को प्रचालन में लाना ।
- 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं को असंबद्ध निधियां तथा वार्षिक रख-रखाव अनुदान देना ।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

भारत के संविधान में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीआई) तथा अनुच्छेद 21-क की शुरुआत 01 अप्रैल, 2010 से हुई। इसकी शुरुआत के साथ ही प्राथमिक शिक्षा 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का मूल अधिकार बन गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन तथा इसके परिणामस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के नवीकरण पर मानव संसाधन मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर एसएसए मानकों को आरटीई प्रतिमानों तथा मानकों जिसमें विद्यार्थी अध्यापक अनुपात, अध्यापक कक्षा अनुपात आदि शामिल हैं, के अनुरूप करने हेतु संशोधित किए गए हैं। एसएसए के समग्र लक्ष्यों में प्राथमिक शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना तथा उसे प्रतिधारित करना, लिंग एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना तथा बच्चों के याद करने के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करना शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है तथा यह देश के करीब 12.3 लाख परिवारों के 19.4 करोड़ बच्चों तक पहुंच गया है।

11वीं योजना में इसके पैटर्न में कमी होती चली गई अर्थात् योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और उसके बाद 50:50। एन.ई.आर. राज्यों के संबंध में निधियन का अनुपात सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अभिचिह्नित 10 प्रतिशत निधि से केन्द्रीय शेयर के साथ 90:10 है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने 01.04.2010 से लागू अर्थात् 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए आरटीआई-एसएसए कार्यक्रम के संबंध में निधियन पद्धति को संशोधित किया है तथा यह निम्न प्रकार है:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों से अलग अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए

केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधि पद्धति 65:35 के अनुपात में होगी।

(ख) 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच 90:10 अनुपात की मौजूदा निधि पद्धति जारी रहेगी।

2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के लिए आरटीआई-एसएसए के संयुक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 2,31,233 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया। इसमें से 13वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के माध्यम से 24068 करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाएंगे तथा 207165 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्यों के बीच 63:35 के अनुपात में तथा केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में शेयर किए जाएंगे।

आरटीआई-एसएसए कार्यक्रम के लिए 21000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है तथा इसके उद्देश्य/आउटकम निम्न प्रकार हैं:

उद्देश्य/परिणाम वास्तविक निष्कर्ष	परिमाणनीय प्रस्तुतियां/	परिलक्षित परिणाम
प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच दाखिले, कक्षाओं में बने रहने तथा शिक्षा स्तर में सुधार	1000 प्राथमिक स्कूलों तथा 5000 उच्च प्राथमिक स्कूलों की शुरुआत 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति 5 लाख अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों की स्कूलों में पहुंच को बढ़ाना।

(क) वित्तीय प्रगति:

(करोड़ रुपए में)

10वीं योजना केन्द्रीय परिव्यय	केन्द्रीय व्यय
17000.00	27896.25

(करोड़ रुपए में)

XII योजना परिव्यय	ब.अनु. 2009-10 (केन्द्रीय हिस्सा)	वर्ष 2009-10 के दौरान किए गए व्यय में केन्द्र एवं राज्य का शेयर	ब.अनु. 2010-11 (केन्द्रीय शेयर)	2010-11 के दौरान किए गए व्यय में केन्द्र एवं राज्य का शेयर	ब.अनु. 2011-12 (केन्द्रीय शेयर)
केन्द्रीय हिस्सा ** 71000	13100	12824.21	15000+	15697.20*	21000
राज्य का हिस्सा 49000		7684.03	4000 (अनुपूरक अनुदान)	7579.31*	

* दिसम्बर, 2010 तक

** 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए आरटीई-एसएसए के लिए 2,31,233 करोड़ रुपए।

(ख) वर्ष 2010-11 में संचयी लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्रम सं.	मर्दे	2010-11 के लक्ष्यों सहित संचयी लक्ष्य	उपलब्धियां (30.09.2010 तक)
1.	खोले गए विद्यालय	366559	खोले गए 309727 (84.49%)
2.	विद्यालय भवनों का निर्माण	281943	पूरा हो गया है और प्रगति पर है 254935 (93.42%)
3.	अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	1277072	पूरा हो गया है और प्रगति पर है 1166868 (91.37%)
4.	पेय जल सुविधाएं	210529	पूरा हो गया है और प्रगति पर है 190961 (90.71%)
5.	शौचालयों का निर्माण	430881	पूरा हो गया है और प्रगति पर है 347857 (80.73%)
6.	पाठ्य-पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	9.93 करोड़ (वार्षिक)	आपूर्ति 8.70 करोड़ (88%)
7.	शिक्षकों की नियुक्ति	14.12 लाख	पूरा हो गया है 11.13 लाख (78.79%)
8.	शिक्षकों को प्रशिक्षण (20 दिवस)	39.48 लाख	पूरा हो गया है 14.02 लाख (36%)

30.09.2010 तक लक्ष्यों की तुलना में संचयी उपलब्धियों में बहुत अच्छी प्रगति दिखलाई देती है जिसमें स्कूल खोलने में उपलब्धि 84.49 प्रतिशत, अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में 91.37 प्रतिशत, पेयजल सुविधा में 90.71 प्रतिशत और पाठ्य-पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति आदि में 88 प्रतिशत है। शिक्षकों की भर्ती उपलब्धियां मामूली रूप से कम अर्थात् 78.79 प्रतिशत है, लेकिन यह भी अपेक्षाकृत अच्छी है।

साक्षर भारत

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में दिनांक 4 जून, 2009 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नए सिरे से तैयार किए जाने की घोषणा के अनुसरण में देश की प्रत्येक महिला को अगले पाँच वर्षों में साक्षर बनाने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए रूप "साक्षर भारत" का श्रीगणेश माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 सितम्बर, 2009 को किया गया। इसका प्रचालन 1 अक्टूबर, 2009 से किया गया।

बुनियादी साक्षरता को प्रभावी बनाने हेतु साक्षर भारत में स्वयंसेवक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें (i) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 80 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति (ii) साक्षरता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने तथा (iii) साक्षरता में लिंग भेद को 10 प्रतिशत तक कम करने की परिकल्पना है।

हालांकि साक्षर भारत में मुख्य बल महिलाओं पर है परंतु पुरुष भी इसके दायरे से बाहर नहीं हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच निधि का हिस्सा 75:25 के अनुपात में है तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में जिनमें सिक्किम भी शामिल है यह अनुपात 90:10 है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार 365 ऐसे जिले जिनमें प्रौढ़ महिला साक्षरता 50 प्रतिशत अथवा उससे कम है, को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु अभिचिह्नित किया गया है। इस मानदंड के अंतर्गत कवर किए गए 365 जिले 25 राज्यों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र में अभिचिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा, प्रौढ़ महिला साक्षरता दर पर ध्यान दिए बगैर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों को कवर करने का निर्णय लिया गया है। जिलों की संख्या अब 375 हो गई है, क्योंकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है इसलिए वे पहले ही अभिचिह्नित 365 जिलों के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं।

देश में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने हेतु सरकार के निर्णय लेने के छह माह के भीतर साक्षर भारत की शुरुआत हो गई। संविधान के 73 वें संशोधन को देखते हुए, साक्षर भारत को पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 2009-10 के दौरान 81,000 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 19 राज्यों के 167 जिलों में मिशन की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर इन जिलों में 3.83 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों के लाभान्वित होने की संभावना है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में 325.98 करोड़ रुपये की पहली किस्त मार्च, 2010 तक जारी की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान 118 और जिले इसके (साक्षर भारत) अंतर्गत लाए गए हैं। ऐसा करने से, 25 राज्यों में 285 जिले तथा एक संघ राज्य क्षेत्र को साक्षर भारत के तहत कवर किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (ए ई सी) की स्थापना की प्रगति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	लक्ष्य *	उपलब्धि
2009-10	25000	1000
2010-11	60000	65,559
2011-12	85000	103441**
	1,70,000	1,70,000

* सीसीए नोट के अनुसार

** प्राप्ति के लिए प्रस्तावित

वर्ष 2010-11 के दौरान 118 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय हिस्से की निमुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। साक्षर भारत के अंतर्गत 112 जिलों के 1261 ब्लॉकों/30787 ग्राम पंचायतों में 1.96 करोड़ निरक्षरों को कवर करते हुए 17 राज्यों को 227.50 करोड़ रुपये जारी किए गए।

रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए साक्षर भारत में एक वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली का प्रावधान है जो इन कार्यक्रमों के विस्तार और प्रभाव को ईष्टतम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और जिला निकायों द्वारा अपने संबंधित स्तरों पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें समवर्ती, संकलित और प्रभाव मूल्यांकन

के लिए विस्तृत कार्यविधि का प्रावधान है। साक्षर भारत के अंतर्गत संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया में खुलेपन और पारदर्शिता के लिए प्रावधान है। प्रत्येक सीखने वाले का नाम और प्रगति को सार्वजनिक जानकारी में रखना अपेक्षित है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान साक्षर भारत के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय 5257 करोड़ रुपए था जिसमें भारत सरकार का हिस्सा शामिल था। केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच शेयरिंग पैटर्न 75:25 के अनुपात में है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में यह अनुपात 90:10 है।

वर्ष 2010-11 के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास स्कीम (साक्षर भारत) के कार्यान्वयन हेतु 1167 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया। तथापि, संशोधित अनुमान 2010-11 में आबंटनों को संशोधित करके 388.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2011-12 का बजट अनुमान 488.50 करोड़ रुपए है।

(क) वित्तीय प्रगति:

(प्रौढ़ शिक्षा)

दसवीं योजना का परिव्यय 1250 करोड़ रुपए तथा व्यय 1148.04 करोड़ रुपए था।

ग्यारहवीं योजना का योजना आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय परिव्यय 5257 करोड़ रुपए था। वर्ष 2009-10 के दौरान एस एल एम ए को 325.98 करोड़ रुपए का भारत सरकार का हिस्सा जारी किया गया।

(ख) वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) में संचयी लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कार्याक्रम का कार्यान्वयन	प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत एक करोड़ निरक्षरों को कवर करना।	वर्ष 2010-11 में 5.79 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु साक्षर भारत ने 285 जिलों को कवर किया।
2.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	25,000 शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।	वर्ष 2010-11 के दौरान 65,559 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे सामान्यतया मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) स्कीम के नाम से जाना जाता है, का विस्तार अक्टूबर, 2007 से 3479 शैक्षिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों और दिनांक 01.04.2008 से देश के सभी ब्लॉकों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक किया गया। वर्तमान में इस कार्यक्रम में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों, शिक्षा गारंटी स्कीम (ई जी एस) और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (ए आई ई) केन्द्रों और एस एस ए के तहत समर्थित मदरसा और मकतबों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चे शामिल हैं। अधिकाधिक बच्चों द्वारा स्कूलों में प्रवेश लेने और निर्भरित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होने की दृष्टि से स्कूलों में भागीदारी पर मध्याह्न भोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए "संपूरक पोषाहार" के एक नियमित स्रोत के रूप में भी काम करता है और यह समतावादी मूल्यों को फैलाने में भी मदद कर सकता है।

इस स्कीम के प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण के लिए एक विस्तृत एवं व्यापक मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जिसमें (i) बच्चों को बांटे जाने वाले भोजन की नियमितता व स्वास्थ्य वर्धकता, (ii) मिड-डे मील पकाने व परोसने में साफ-सफाई (iii) बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों, ईंधन आदि का यथासमय प्रापण, (iv) भोजन की किस्म में विविधता (v) सामाजिक तथा लिंग आधारित समता की दृष्टि से इस स्कीम के प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण के लिए ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संघों के साथ-साथ मातृ समितियों के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को स्कूलों तथा केन्द्रों, जहां इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, का निरीक्षण भी करना होगा। 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों/ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. केन्द्रों का हर तिमाही में निरीक्षण करने की सिफारिश की गई है। बयालीस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को मिड-डे मील के प्रबोधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग द्वारा एन आई सी की सहायता से रियल टाईम आधार पर डाटा एकत्र करने के लिए इंटरएक्टिव वॉईस रिस्पोंस सिस्टम (आई वी आर एस) के समेकन के माध्यम से प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल योजना परियोजना 48,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2010-11 के लिए बजट आबंटन 9,440 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 के लिए बजट अनुमान 10,380 करोड़ रुपए है।

उद्देश्य/परिणाम, परिमाणनीय डिलीवरेबल्स/वास्तविक परिणाम तथा अनुमानित परिणाम निम्नानुसार हैं:-

उद्देश्य/परिणाम	परिमाणनीय डिलीवरेबल्स/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम
सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के स्कूलों, शिक्षा गारंटी स्कीम / वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा केन्द्रों तथा मान्यता प्राप्त मदरसों तथा मकतबों में पढ़ने वाले प्राथमिक स्तर (कक्षा I-VIII) के बच्चों तथा राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं के बच्चों के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान मिड डे मील उपलब्ध कराना :-	(i) सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों तथा ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों, जिनमें एस.एस.ए. से सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त मदरसे एवं मकतब भी शामिल हैं, के 11.36 करोड़ बच्चों (प्राथमिक स्तर पर 7.97 करोड़ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.39 करोड़) और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के बच्चों के लिए नियमित आधार पर पके हुए मिड-डे मील की नियमित आधार पर व्यवस्था।	सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों और राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं के बच्चों सहित ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों में कक्षा I से VIII में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन की नियमित व्यवस्था कराना जिससे कि बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हो सके।
(i) पका हुआ गरम भोजन उपलब्ध कराते हुए स्कूलों में भूख का निराकरण करना।	(ii) 2006-07 से 2009-10 तक 8.50 लाख स्कूलों में रसोई सह-भंडारों का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है।	
(ii) बच्चों की पोषाहार स्थिति में सुधार लाना।	(iii) 2006-07 से 2009-10 तक 11.25 लाख स्कूलों में रसोई संबंधी उपकरणों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी गई है।	
(iii) वर्ग के गरीब बच्चों को नियमित आधार पर स्कूल जाने तथा उन्हें कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान देने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना।	(iv) वर्ष 2011-12 में आई.वी.आर.एस. के एकीकरण के साथ एम आई एस का विकास।	
(iv) ग्रीष्म अवकाश के दौरान, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को पोषाहार सहायता मुहैया कराना		

(क) वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए में)

दसवीं योजना केन्द्रीय परिव्यय			केन्द्रीय व्यय
5900.00			13747.38
योजना आयोग द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना के केन्द्रीय परिव्यय			वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय व्यय
2009-10 (8000.00 करोड़ रुपए)			2009-10 में आबंटित 8000.00 करोड़ रुपए की तुलना में 6937.26 लाख रुपए
ब.अनु. 2010-11	सं. अनु. 2010-11	31.01.2011 तक केन्द्रीय व्यय	कम खर्च के कारण
9440.00	9440.00	8345.83 करोड़	(i) व्यय 88.40% है। पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटन का 10% अर्थात् 9440.00 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुछ बचत होगी क्योंकि स्कीम के अंतर्गत शामिल की जाने वाली आबादी पी ए बी- एम डी एम द्वारा अनुमोदित कुल कवरेज का मात्र 5.6% है। इस बचत का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 40.00 करोड़ रुपए का पुनर्विनियोजन किया गया है। इस घटक के लिए 450.00 करोड़ रुपए के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव वित्त प्रभाग को पेश किया गया है।

(ख) वर्ष 2010-11 के लक्ष्य तथा उपलब्धि

क्रम सं.	मदें	लक्ष्य	उपलब्धियां	कम उपलब्धि के कारण
1.	स्कीम के तहत कवर किए गए बच्चों की संख्या	11.36 करोड़ बच्चे (प्राथमिक स्तर पर 7.97 करोड़ बच्चे तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.39 करोड़ बच्चे)	10.59 करोड़ बच्चे (प्राथमिक स्तर पर 7.39 करोड़ उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.30 करोड़)। यह लक्ष्य का 93 प्रतिशत है।	उपलब्धि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर निर्भर करती है।
2.	रसोई एवं स्टोर का निर्माण	8,50,313	4,16,022	रसोई सह भंडारों के निर्माण की लागत 01.12.09 में संशोधित की गई है। रसोई-सह-भंडारों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता अब प्लिंथ एरिया मानदंडों तथा राज्य में प्रचलित राज्य अनुसूचित दरों के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। रसोई सह भंडारों के निर्माण के अंतर्गत कम उपलब्धि का कारण यह था कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 60,000/रु. प्रति इकाई की दर से, जो रसोई सह भंडारों का निर्माण करने के लिए मानदंडों में संशोधन से पहले 60,000/-रु. प्रति रसोई सह भंडार की दर से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई है, रसोई सह भंडार का निर्माण करने में असमर्थ है।

वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य

क्रम सं.	मर्दे	लक्ष्य
1.	इस स्कीम के तहत शामिल किए गए बच्चों की संख्या	11.36 करोड़ बच्चों (प्राथमिक स्तर पर 7.97 करोड़ बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.39 करोड़ बच्चे) को मिड-डे मील की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
2.	केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति समय पर सुनिश्चित करना ।
3.	दूसरी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार (30.09.2010 तक) रसोई-सह-भंडार का निर्माण	वर्ष 2009-10 तक कुल स्वीकृत 8,50,313 की तुलना में 4,34,291 रसोई-सह-भंडार का निर्माण किया जाना अभी बाकी है । लगभग 4 लाख रसोई-सह-भंडारों की स्वीकृति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी दी जानी है ।
4.	दूसरी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार (30.9.2010 तक) रसोई उपकरणों की अधिप्राप्ति	3,01,511
5.	रियल टाईम आधार पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के एकीकरण के साथ डैवलपमेंट मैनेजमेंट इनफोर्मेशन सिस्टम ।	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के एकीकरण के साथ मैनेजमेंट इनफोर्मेशन सिस्टम दिसम्बर, 2011 तक विकसित कर लिया जाएगा ।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम

02 अक्टूबर, 1975 को 33 समुदाय विकास ब्लॉकों में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.) आज विश्व में चल रहे बच्चों के प्रारंभिक विकास के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। आई.सी.डी.एस. भारत की अपने बच्चों के प्रति वचनबद्धता का सबसे पहला प्रतीक है। यह छह वर्ष की आयु वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवा का एकीकृत पैकेज मुहैया कराने का प्रयत्न करता है। वर्तमान में ये सेवाएं लगभग 11.95 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 22 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के नेटवर्क के जरिए पहुंचती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत छह सेवाओं का एक पैकेज है अर्थात् (i) संपूरक पोषाहार; (ii) अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा; (iii) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (आई.सी.डी.एस. कार्मिकों के माध्यम से); और (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; (vi) परामर्शी सेवाएं (सभी स्वास्थ्य प्रणालियों सहित)।

इस स्कीम को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य 792 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा लगभग 3 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी है जिससे कुल परियोजनाएं बढ़कर 7076 तथा आंगनवाड़ी केन्द्र/लघु आंगनवाड़ी केन्द्र 14 लाख तक हो गए हैं, इसमें मांग पर उपलब्ध 20,000 आंगनवाड़ी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 से, भारत सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच आई.सी.डी.एस. के निधियन पैटर्न में संशोधन किया है। केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संपूरक पोषाहार के सिवाए सभी घटकों का शेयरिंग पैटर्न बदल कर 90:10 हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों, जहां अनुपात 90:10 कर दिया गया है, को छोड़कर एस.एन.पी. के लिए अनुपात 50:50 जारी रहेगा। आई.सी.डी.एस. के लिए आबंटन 2010-11 में 8700 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 2011-12 में 10,000 करोड़ रुपए हो गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए 1035.81 करोड़ रुपए भी शामिल है।

आई.सी.डी.एस. स्कीम के उद्देश्य तथा परिमाणनीय डिलीवरेबल्स/वास्तविक आउटपुट, अनुमानित परिणाम तथा 2011-12 के लिए टिप्पणी सहित प्रक्रियाएं/समय-सीमाएं निम्न विवरण में दी गई है:

उद्देश्य/परिणाम	प्रस्तावित परिव्यय 2011-12	परिमाणनीय डिलीवरेबल्स वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम डिलीवरेबल्स	प्रक्रियाएं/ समय-सीमाएं	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6
(i) 06 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों की पोषाहार और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।	10000.00 करोड़ रुपए	1. मार्च, 2012 तक प्रचालित की जाने वाली (संचयी) आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या: 7050	कुपोषण में कमी। संपूरक पोषाहार और विद्यालय-पूर्व शिक्षा के तहत लाभानुभोगियों की संख्या का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक स्वयं चयनित कार्यक्रम है।	1. मासिक/ तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा बैठकों के माध्यम से प्रचलनात्मक प्रगति संबंधी स्टेटस की समीक्षा की जाएगी।	1. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रचालनरत करने के लिए, राज्य के शेयर के साथ-साथ भारत सरकार निधियां शीघ्रता से उपलब्ध कराने, सभी रिक्त पदों को भरने तथा विस्तृत आई.सी.डी.एस. कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए राज्यों को गंभीर प्रतिबद्धता दर्शाने की जरूरत है।
(ii) बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की आधारभूमि तैयार करना।		2. मार्च, 2012 तक प्रचालित किए जाने वाले (संचयी) आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या: 13.4 लाख	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित है कि वे इन सेवाओं को सभी पात्र लाभानुभोगियों अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और	2. जागरूकता, प्रशिक्षण एवं आई.सी.डी.एस. गतिविधियां बढ़ाना।	

उद्देश्य/परिणाम	प्रस्तावित परिव्यय 2010-11	परिमाणनीय डिलीवरेबल्स वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम डिलीवरेबल्स	प्रक्रियाएं/ समय-सीमाएं	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6
			गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को मुहैया कराएं । समीक्षा के प्रयोजनार्थ अनुमानित परिणाम निम्नलिखित हैं:		2. राज्यों द्वारा बेहतर डिलीवरी और विशेषकर एस.एन.पी. की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है । फीडिंग और वित्तीय प्रतिमानों संबंधी दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।
(iii) मृत्युदर, विकृति, वृद्धपोषण तथा स्कूल, छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना ।		3. निर्मुक्ति: 2011-12 के दौरान बजट अनुमान का 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक खर्च।			
(iv) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी तालमेल कायम करना, और		4. छह सेवाओं अर्थात (i) संपूरक पोषाहार; (ii) अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा; (iii) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (आई.सी.डी.सी. मंच के माध्यम से); (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) परामर्शी सेवाएं (सभी स्वास्थ्य प्रणालियों सहित) का पैकेज लक्षित वर्गों को मुहैया कराया जाता है, ताकि इसके उद्देश्य/परिणाम को हासिल किया जा सके ।	1. संपूरक पोषाहार प्राप्त करने के लिए 6 माह से 6 वर्ष तक के लाभानुभोगी बच्चों की संख्या : 8.63 करोड़ 2. संपूरक पोषाहार प्राप्त करने के लिए गर्भवती/दूध पिलाने वाली लाभानुभोगी माताओं की संख्या : 1.90 करोड़ 3. विद्यालय-पूर्व, शिक्षा प्राप्त करने वाले लाभानुभोगी बच्चों (3 से 6 वर्ष) की संख्या : 4.03 करोड़		3. गहन पर्यवेक्षण और नियमित प्रबोधन किया जाना चाहिए । 4. राज्यों द्वारा प्रशिक्षण योजनाएं समय पर प्रस्तुत करने की जरूरत है तथा सूचना प्रचार-प्रसार का कार्य सभी स्तरों पर पूरा हो जाना चाहिए । 5. एकीकृत बाल विकास सेवाओं को सुसाध्य एवं सुदृढ़ करने में पी.आर.आई., एस.एच.जी., एन.जी.ओ. की भागीदारी ।
(v) समुचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता में वृद्धि करना ।					

2010-11 के दौरान उपलब्धियां

परिमाणनीय लक्ष्य	लक्ष्य (2010-11)	उपलब्धि (2010-11)*
1. प्रचालित की जाने वाली आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या	7000	6719 (संचयी)
2. प्रचालित किए जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	12.80 लाख (संचयी)	12.42 लाख (संचयी)
3. लाभार्थियों की संख्या- संपूरक पोषाहार	बच्चे : 8.63 करोड़ माताएं : 1.88 करोड़	बच्चे: 7.51 करोड़ माताएं: 1.67 करोड़
4. विद्यालय-पूर्व शिक्षा पाने वाले लाभार्थियों की संख्या	4.03 करोड़	3.55 करोड़

* 31.12.2010 तक

उपलब्धि में कमी का कारण:

मद 1 और 2: भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद से आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। राज्यों की प्रशासनिक/वित्तीय/विधि संबंधी कठिनाइयों के कारण राज्यों द्वारा संस्वीकृति देने तथा उनको ऑपरेशनल बनाने में कुछ विलम्ब हुआ है।

मद 3 और 4: आई.सी.डी.एस. एक स्व-चयनित स्कीम है और प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के संख्या मानदंडों में ढील दी गई है, अवसंरचना तथा मानव संसाधन पर बेहतर सुपुर्दगी और निवेश के साथ लाभानुभोगियों की संख्या में सुधार होगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी परिवार, जिसके बख्तिग सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीड मजदूरी रोजगार दिखाने के माध्यम से बड़ी हुई आजीविका सुरक्षा मुहैया कराना है। 2 फरवरी, 2006 से लागू इस अधिनियम से देश के 200 जिलों को अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2007-08 से इसमें 130 अतिरिक्त जिलों को शामिल किया गया है। 01 अप्रैल, 2008 से इस अधिनियमके दायरे में देश के शेष सभी जिलों को ले लिया गया है। इस प्रकार यह सांविधिक वचनबद्धता कि इस अधिनियम के लागू होने के पंच वर्षों के भीतर देश के सभी जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, अब पूरी की जा चुकी है।

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है। इस प्रकार, इसमें कार्यों की मांग निधियों की जरूरत तथा रोजगार सृजन पर निर्भर है। तथापि, वर्ष 2010-11 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय (बी.ई.) 40,100.00 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 22 जुलाई, 2009 की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I, पैराग्राफ-I, उप-पैरा (iv) संशोधित कर दिया गया है जिसके मुताबिक "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों या "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008" के अंतर्गत यथा-परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी संबंधी पौधारोपण और भूमि विकास सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I, पैरा-I के उप-पैरा (iv) में निम्नवत अधिसूचित किया गया है। "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का ग्रामीण ज्ञान संसाधन केंद्रों के रूप में तथा ग्राम पंचायत भवन का ग्राम पंचायत स्तरों पर निर्माण"। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक निष्पादन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	संसूचक	2006-07 (200 जिले)	2007-08 (300 जिले)	2008-09 (615 जिले)	2009-10 (619 जिले)	2010-11 (619 जिले) दिस. 2010 तक
1	परिवारों को प्रदत्त रोजगार (करोड़)	2.10	3.39	4.51	5.26	4.10
2	सृजित व्यक्ति दिवस					
	कुल (जोड़)	90.5	143.59	216.32	283.59	145
	अ.जा.	22.95(25%)	39.36(27%)	63.36(29%)	86.45(30%)	32.65(23%)
	अ.ज.जा.	32.98 (36%)	42.07(29%)	55.02(25%)	58.74(21%)	24.83(17%)
	महिलाएं	36.79 (41%)	61.15(43%)	103.57(48%)	136.40(48%)	72.93(50%)

वर्ष 2010-11(दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 4.10 करोड़ परिवारों को मजदूरी-रोजगार मुहैया कराया गया था तथा कुल 625 कवरित जिलों में 145 व्यक्ति दिवस का सृजन किया गया था। यह प्रति परिवार 46 दिनों का औसत रोजगार बनता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित कुल रोजगार में 23%/17% व्यक्ति दिवस रोजगार अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान रोजगार सृजन में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत रही है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारी के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन की वास्तविक मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2009 में की गई घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी दरों के निर्धारण और उसके आवधिक संशोधन हेतु इनडैक्स के विकास हेतु डा0 प्रणब सेन, सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। डा0 सेन समिति द्वारा जब तक कोई संतोषजनक इनडैक्स का प्रस्ताव नहीं किया जाता है और इसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, भारत सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक से मनरेगा के अंतर्गत इनडैक्स मजदूरी दर को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है और तदनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 14-1-2011 को अधिसूचना जारी की जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा (6) की उपधारा (1) के अंतर्गत संशोधित मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अहम लक्ष्य वाटर शेड अप्रोच, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा और गांवों को शहरों से जोड़ने से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हुए स्थायी संपदा सृजित करने का है । 68.60 लाख कार्यों को पूरा किया गया जिसमें से 50 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण से संबंधित था जबकि शेष कार्यों में वनरोपण, भूमि विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी आदि से जुड़े कार्य थे।

महात्मा गांधी नरेगा की वेबयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (मिस) में सभी आंकड़े डाल देने से इस स्कीम का प्रबंधन ज्यादा पारदर्शी हो गया है । स्कीम के परिणामों की सार्वजनिक संवीक्षा के लिए स्कीम की सामाजिक लेखापरीक्षा भी की जाती है ।

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कानून है । इसमें सृजित व्यक्ति-दिवस इसके रोजगार की मांग पर निर्भर हैं । इसलिए इससे उत्पादित परिणाम परिवारों की मांग पर वास्तविक रूप से सृजित व्यक्ति-दिवस होगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी)

"ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ पेयजल" भारत निर्माण का एक घटक है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2012 तक भारत के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना है। पेयजल की आपूर्ति सर्व जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (तत्कालीन त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम) भारत सरकार का जल क्षेत्र में प्रमुख हस्तक्षेप है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण घरों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसमें भूजल के अत्यधिक दोहन, सतही जल स्रोतों और वर्षा जल संचयन आदि के प्रति लापरवाही जैसे कारणों से बस्तियों को शत प्रतिशत मात्रा में जल मुहैया कराने में निरन्तर गिरावट आ रही है। भूजल स्तर के लगातार गिरते जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में एक अन्य खतरनाक परिणाम अर्थात् पानी में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड जैसे अत्यधिक विषैले रासायनिक तत्वों के घुलने का मामला सामने आया है। सभी घरों को पानी न उपलब्ध कराए जाने का एक अहम कारण शहरी क्षेत्रों में सतही जल स्रोतों के प्रतिकूल ग्रामीण क्षेत्रों में जल के एकल स्रोत अर्थात् भूजल (85 प्रतिशत) पर अत्यधिक निर्भरता है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में बस्तियों को शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाए सभी परिवारों को शामिल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। एन एन एस ओ 65 वें राउंड सर्वे (2008-09) के अनुसार 90% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास सुरक्षित पेयजल स्रोत हैं।

3. वर्ष 2010-11 के दौरान, कुल 1,21,812 घरों को (376 अकवरित, 80342 स्लिपड बैक और 41,094 गुणवत्ता प्रभावित) कवर किए जाने का लक्ष्य है। 31 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार इस लक्ष्य की तुलना में 71,141 (168 अकवरित, 57,812 स्लिपड बैक और 13,161 गुणवत्ता प्रभावित) घरों को कवर किया गया है। वर्ष 2011-12 के अंत तक सभी 379 अकवरित और 80,342 स्लिपड बैक घरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। वर्ष 2010-11 में 36,496 सरकारी ग्रामीण स्कूलों को जलापूर्ति किए जाने का लक्ष्य है जिसमें से अब तक विभाग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 15,065 स्कूलों को कवर कर लिया गया है।

2011-12 के लक्ष्य/परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 9350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राज्यों की वार्षिक कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्च, 2011 में बैठकें रखी गई हैं। राज्यों के साथ इन बैठकों में परिवारों को शामिल करने के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष 2010-11 की संभावित उपलब्धियों के आधार पर वर्ष 2011-12 में आंशिक रूप से सम्मिलित 85,000 बस्तियों और गुणवत्ता प्रभावित 35,000 बस्तियों को शामिल किए जाने की संभावना है जो राज्यों द्वारा सूचित किए जाने वाले अंतिम लक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

पूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने तथा महिलाओं को निजता व गरिमा दिलाने के लक्ष्य के साथ 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) की शुरुआत की थी। वैयक्तिक साफ-सफाई, घरेलू शौचालय, स्वच्छ पेयजल और कचरा आदि तथा अपजल अवशोधन आदि को इसमें शामिल करने के लिए स्वच्छता की इस संकल्पना को वर्ष 1999 तक बढ़ाया गया। इस प्रकार, समेकित दृष्टिकोण के साथ अब जो संशोधित कार्यक्रम लागू है उसका नाम ग्रामीण समग्र स्वच्छता है तथा इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

समग्र स्वच्छता अभियान के सिद्धांत

- मांग चालित
- समुदाय चालित एवं जन केंद्रित
- अभियानपरक दृष्टिकोण
- आई.ई.सी. पर मुख्य ध्यान
- वैकल्पिक डिलीवरी मैकेनिज़्म (ग्रामीण सैनिटेशन माटर्स/उत्पादन केन्द्र)
- स्कूल सैनिटेशन तथा साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा देने पर मुख्य ध्यान
- कार्यक्रम में सहकारी समितियों, महिला समूहों, स्वयंसेवी दलों, युवा-मंडलों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं आदि की सहभागिता बनाए रखना।
- सैनिटेशन सुविधाओं के विनिर्माण में लागत हिस्सेदारी।

समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 607 जिलों में लागू की जा रही है। इसका कुल अनुमोदित परिव्यय 20024.30 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थी/पंचायतों/पी.टी.ए. की हिस्सेदारी क्रमशः 13026.46, 4795.49 और 2202.35 करोड़ रुपए है। अभी तक इसमें केंद्र की ओर से 6279.24 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 729 लाख घरों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहयोग मुहैया कराया जा चुका है, 20,134 सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण किया जा चुका है 10,45,942 स्कूल शौचालय इकाइयां बनाई जा चुकी हैं, 3,52,050 आंगनवाड़ी/बालवाड़ी शौचालय बनाए जा चुके हैं तथा 8,399 ग्रामीण शौचालय माटर्स/उत्पादन केन्द्र बनाए जा चुके हैं।

लक्ष्य/परिणाम 2011-12

- 2015 तक संपूर्ण घरों की कवरेज सुनिश्चित करना:** जहां तक स्वच्छता का सवाल है, वर्ष 2015 तक देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के तहत वर्तमान परियोजना उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग एक करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं दिए जाने की आशा है।
- 2012-13 तक स्कूली कवरेज:** संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में 2012-13 के अंत तक सभी ग्रामीण स्कूलों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इस कवरेज में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी स्कूलों का लक्ष्य बनाया गया है जिसके लिए टी.एस.सी. के अंतर्गत निधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2011-12 तक सभी ग्रामीण स्कूलों में कम से कम एक शौचालय ब्लॉक मुहैया कराया जाना है। सभी सह-शिक्षा स्कूलों में, बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे। टी.एस.सी. के अंतर्गत 13.14 लाख शौचालय ब्लॉक पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा अनुमान है कि मार्च 2013 तक सभी विद्यालयों में शौचालय ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएंगे।

ग्रामीण भारत में समग्र स्वच्छता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और विशिष्टियों के अनुसार तथा टी.एस.सी. के समय पर कार्यान्वयन हेतु स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालय परिसरों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालय परिसरों की देय लागत काफी बढ़ा दी है।

2011-12 के दौरान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के लिए 1650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

FOREWORD

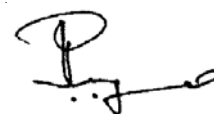
As mentioned in my Budget Speech, I see budget 2011-12 as a transition towards a more transparent and result oriented economic management system in India. Our real challenges are implementation gaps, leakages from public programmes and the quality of our outcomes. We are taking major steps in simplifying and placing the administrative procedures concerning taxation, trade and tariffs and social transfers on electronic interface, free of discretion and bureaucratic delays. This will set the tone for a newer, vibrant and more efficient economy.

The UPA Government has engineered a major directional change in public policy by its focus on inclusive development. Creation of legal entitlements for an individual's right to work has added to resilience and dynamism in our rural economy. The right to information and the right to education are effective tools of empowerment for removing social imbalances. The Government is close to finalization of the National Food Security Bill. The proposed allocation of ₹ 1,60,887 crore for social sector in 2011-12 is an increase of 17 per cent over current year. It amounts to 36.4 per cent of the total plan allocation. The plan allocations devoted to the development of rural infrastructure under Bharat Nirman have been increased by ₹ 10,000 crore to ₹ 58,000 crore.

The Flagship schemes are an integral and critical part of the Government's commitment towards inclusive development. Further, while higher outlays for important schemes and programmes are necessary, there is also an urgent need to measure outcomes in order to assess the actual effectiveness and impact of government schemes. The introduction of outcome budgeting from 2005-06 has taken place with the objective of shifting focus from outlay to outcomes and thereby enhancing the impact of all the schemes.

Concurrently, the Government has set up a Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) to assess the effectiveness of Government departments in their mandated functions. It involves preparation of a Results Framework Document (RFD) by each department, highlighting its objectives and priorities for the financial year and achievements against pre-specified targets at the end of the year. This document would be available for public information on the departmental websites.

As in the past few years, a compilation, highlighting the targeted outcomes of the Flagship Programmes of the UPA Government, has been prepared for quick reference. It gives, in brief, targets of projected outcomes, quantifiable deliverables/physical outputs for 2011-12 and the institutional reforms concerning the delivery system of these programmes which are on the anvil. Fuller details would, of course, be available in the individual outcome budget documents, laid by the respective Ministries/Departments.



[Pranab Mukherjee]
Finance Minister

New Delhi
March 14, 2011

TABLE OF CONTENTS

Programme	Demand No.	Page No.
<i>'Bharat Nirman'</i>		
Rural Telephony	14	1
Rural Electrification	75	3
Rural Roads	82	4
Rural Housing	82	5
Drinking Water	84	5
Irrigation	104	6
Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission	101	7
National Rural Health Mission	46	10
Sarva Shiksha Abhiyan	58	14
Saakshar Bharat	58	16
National Programme of Mid-day Meal Scheme	58	18
Integrated Child Development Services	105	21
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act	82	23
National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	84	25
Total Sanitation Campaign	84	26

Rural Telephony

Telecom development in rural areas assumes special significance as more than 70% of India's population lives in villages. There is a strong two-way co-relation between telecom development and overall economic development of a region. Telecom services are important drivers for development, delivery of public services such as education, health etc. and integration of rural areas with the rest of the country.

Amongst the various activities undertaken by the Department of Telecom under Universal Service Obligation (USO), the initial focus was on providing public access. Access to public telephones was through installation of Village Public Telephones (VPT), Rural Community Phones and replacement of Multi Access Radio Relay (MARR) telephones. The VPT component is covered under the Flagship "Bharat Nirman" programme of Government of India under which 66822 (Number revised to 62302) uncovered villages were to be covered. By 31-12-2010, 61985 VPTs have been provided in these uncovered villages. Out of the remaining 317 VPTs, 50 are to be provided by March 2011 and the rest 267 in 2011-12.

The Indian Telegraph Act, 1885 has been amended in December, 2006 to enable Universal Service Obligation Fund (USOF) to support mobile telephony in the rural and remote areas. The Indian Telegraph Rules have been amended to enable USOF to cover a larger sphere of activities and these include provision of mobile services, rural broadband connectivity and strengthening of general infrastructure in the rural and remote areas.

Agreements for setting up and managing infrastructure sites and provision of mobile services in rural and remote areas have already been entered into and the scheme has been launched on 01/06/2007. The scheme covers setting up of 7871 (number revised to 7363) towers in rural and remote areas in 81 clusters spread over 500 districts all over the country where there is no existing fixed wireless or mobile coverage. Each tower is being shared by three telecom service providers. **By 31st of December 2010, 7236 towers have been set up under the scheme.** The remaining 127 towers are to be set up by March, 2011.

The rural broadband connectivity will cover common service centres (CSCs) being set up by DIT, Gram Panchayats, Higher Secondary Schools, Public Health Centres, other Government institutions and individual users in the rural and remote areas. It will cover the requirement of e-governance also. Under this scheme 8,88,832 broadband connections shall be provided to individual users and Government institutions over a period of five years i.e. by 2014 by leveraging the existing rural exchanges infrastructure and wireline network. As of December 2010, 253084 broadband connections and 670 kiosks have been provided under this scheme.

A sum of ₹ 2100 crore has been provided under Plan in BE 2011-12 for USOF activities. The requirement of funds for USO activities (including Rural Telephony) and assessed outcomes are as follows:-

Rural Telephones

Sl. No.	Scheme	Financial Outlays 2011-12 (₹ in crores)	Quantifiable Deliverables/ Physical Outputs (2011-12)
1	Operation and Maintenance of existing VPTs	2.25	—
2	Replacement of MARR VPTs	151.01	—
3	Provision of RCPs (including Maintenance)	6.20	—

Sl. No.	Scheme	Financial Outlays 2011-12 (₹ in crores)	Quantifiable Deliverables/ Physical Outputs (2011-12)
4	VPT in uncovered villages	18.70	267
5	Rural Household DELs installed between 01/04/02 and 31/03/05 (Maintenance thereof)	0.75	—
6	Rural Household RDELs installed between 01/04/05 and 31/03/07 (extended upto 31/03/2010) (Maintenance thereof)	26.00	—
7	Shared infrastructure support (Towers and Mobile Services)-Phase I	89.75	—
8	VPTs in newly identified Uncovered villages as per Census 2001	194.00	14160
9	Support for Rural Wireline Household RELs installed prior to 01.04.02	1092	—
10	Wireline Broadband connectivity in rural and remote areas	166.50	2.5 lakh broadband connections + 5000 kiosks
11	Pilot Projects	2.50	—
12	Renewable energy	1.50	20 sites
13	Solar Mobile charging stations	—	1000 villages
14	Wireless Broadband Connectivity in rural and remote areas	300	50000 villages
15	Satellite Broadband Connectivity in rural and remote areas	1.00	100 Broadband connections
16	Optical Fibre Cable (OFC) Network in Assam service area	49.50	Complete 254 OFC nodes
17	Optical Fibre Cable (OFC) Network in areas other than Assam	4.65	50 OFC nodes in NE & 10 in WB & Sikkim

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY)

This scheme of rural electricity infrastructure and household electrification has been introduced in April, 2005 for providing access to electricity to all households. Improvement of rural electricity infrastructure is essential to empower rural India and unleash its full growth potential. Rural Electrification Corporation (REC) is the nodal agency for the programme. Under the scheme, projects are financed with 90% capital subsidy for provision of Rural Electricity Distribution Backbone (REDB), creation of Village Electrification Infrastructure (VEI) and Decentralized Distributed Generation (DDG) and Supply. REDB, VEI and DDG would also indirectly facilitate power requirement of agriculture and other activities including irrigation pumpsets, small and medium industries, khadi and village industries, cold chains, health care, education and IT. Under this scheme Below Poverty Line (BPL) households are provided free electricity connections. The rate of reimbursement for providing free connection to BPL households is ₹ 2,200/- per household.

Implementation under RGGVY

	Coverage under RGGVY beyond X Plan	Bharat Nirman targets under RGGVY by March 2012	Cumulative Achievement Till 31.01.2011	Achievement for quarter ending 31.01.2011 for the year 2010-11
Total villages to be electrified	118499	100000	90,593	12,337
BPL households covered	246.45 lakh	175 lakh	143.15 lakh	42.18 lakh

Achievements

During 2010-11 upto 31st January, 2011, electrification of 12,337 villages and release of connections to 42,18,682 BPL households has been achieved. Cumulatively, the achievement is electrification of 90,593 villages and release of electric connections to 1,43,15,708 BPL households.

Projected outcome for 2011-12

The budgetary allocation is ₹ 6000 crore for the year 2011-12. The target for 2011-12 is to achieve electrification of 15500 un-electrified villages and offering electricity connections to around 47 lakh BPL households. This will facilitate overall development, employment generation and poverty alleviation.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was launched on 25th December, 2000 as a 100% Centrally Sponsored Scheme. The Programme seeks to provide connectivity to all unconnected habitations in the rural areas with a population of more than 500 persons through All-weather roads. In respect of the Hill States (North-East, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttarakhand), Tribal (Schedule-V) areas and the Desert (as identified in Desert Development Programme) areas, the objective is to connect habitations with a population of 250 persons and above. Recently, the programme guidelines have been amended to extend the coverage under programme to habitations having population of 250 persons and above in Left Wing Extremism (LWE) affected districts identified by Ministry of Home Affairs.

The 'rural roads' have been identified as one of the six components of 'Bharat Nirman' with a goal to provide connectivity to all habitations with a population of 1000 persons and above [500 persons and above in the case of hill States or tribal areas (Schedule V)] with an all-weather road. The programme also has an 'Upgradation' component with a target to upgrade 1.94 lakh km. of existing rural roads (including 40 % renewal of rural roads to be funded by the States) in order to ensure full farm to market connectivity. Based on ground verification by States, 54,648 habitations are targeted to be connected under Bharat Nirman by March, 2012.

During the period 2005-11 an amount of ₹ 76,613.77 crore has been made available for the implementation of the programme. Overall progress of habitation coverage and construction of road works (both for New Connectivity and upgradation) up to December, 2010 under Bharat Nirman is as under:-

	Target	Achievement (up to Dec. 2010)
Unconnected habitations to be covered.	54,648	38,575 (71%)
Road length (in km) to be constructed	1,46,185	1,17,105 (80%)
Upgradation of existing rural roads (including renewal) (in km)	1,94,130	2,15,607 (111%)

In addition, projects for connecting 14,995 habitations are at different stages of completion.

The allocation for the year 2010-11 under PMGSY is ₹ 22,000 crore which includes External Aid (from the World Bank and the Asian Development Bank) of ₹ 890 crore. It is targeted to provide all weather road connectivity to 4,000 habitations and complete 34,090 km road length during the current year (2010-11) under PMGSY.

During 2011-12, it is proposed to provide all weather road connectivity to 8,000 habitations under PMGSY with 25,000 km of new connectivity road length. In addition, 25,000 km of existing rural roads is proposed to be upgraded for improving farm to market connectivity.

Rural Housing (Indira Awaas Yojana)

The Indira Awaas Yojana (IAY) is a flagship scheme of the Ministry of Rural Development to provide houses to the poor in rural areas. Financial assistance is provided to shelterless rural BPL households for construction of their dwelling units. The ceiling for construction of a new house is ₹ 45,000/- per unit in plain areas and ₹ 48,500/- in hilly/difficult areas.

The grants under the scheme are released by the Centre and States in the ratio of 75 : 25. However, in the case of North-Eastern States, the funding is shared in the ratio of 90:10 by Centre and the North-Eastern States, respectively. In the case of Union Territories, 100% assistance is provided by the Centre.

At least 60% of the funds available under IAY are required to be utilized for construction of houses for SC/ST BPL families. Similarly, 3% of IAY funds are meant for physically and mentally challenged persons. Since 2006-07, 15% of the funds are being earmarked for coverage of minorities also. Allotment of dwelling unit is usually done in the name of the female member of the beneficiary household.

Since 2005-06, IAY has also become part of 'Bharat Nirman' Programme under which 60 lakh houses were envisaged to be constructed through Indira Awaas Yojana in a period of four years from 2005-06 to 2008-2009. As against this target, 71.76 lakh houses were constructed thereby exceeding the target. The physical target for 'Bharat Nirman' Phase-II is for construction of 120 lakh houses over a period of five years starting from the current year 2009-10. During the year 2009-10, 33.86 lakh houses were constructed and for the current year 2010-11, the physical target is for construction of 29.09 lakh houses. Thus, about 63 lakh houses are likely to be constructed during the first two years of the 'Bharat Nirman' Programme Phase-II.

National Rural Drinking Water Programme (please see page No. 25)

Accelerated Irrigation Benefits Programme & National Project

The Accelerated Irrigation Benefits Programme(AIBP) was launched during 1996-97 to give loan assistance to the states to help them complete some of the incomplete major/medium irrigation projects which were in an advanced stage of completion and create additional irrigation potential in the country. The Surface Minor Irrigation Schemes of North-Eastern States, Hilly States of Sikkim, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and undivided Koraput, Bolangir and Kalahandi Districts of Orissa have also been provided Central Loan Assistance(CLA) under this programme since 1999-2000. Grant component has been introduced in the programme from April, 2004 like other Central sector schemes. As per the existing AIBP criteria effective from December, 2006, grant amounting to 25% of the project cost for major and medium irrigation projects in non-special category States and 90% grant of the project cost for major/medium/minor irrigation projects in special category States (including undivided Koraput, Bolangir and Kalahandi districts of Orissa) are provided to the selected projects. The minor irrigation schemes in non-special category States falling in drought prone/tribal areas are treated at par with special category States and are released 90% grant of the project cost. Major and medium projects providing irrigation benefit to drought prone/Tribal area and flood prone area are also eligible for 90% grant of the project cost. The State Governments have been provided an amount of ₹ 44574.515 crore as CLA/Grant under AIBP since inception of this programme till 01.02.2011 for 286 major/medium irrigation projects and 12104 Surface minor irrigation schemes. After commencement of this Programme 129 major/medium and 8140 Surface MI Schemes have so far been completed. An additional irrigation potential of 5.486 million hectare has been created through major/medium irrigation projects and an irrigation potential of 0.454 million hectares has been created through Surface MI Schemes upto March, 2009. Irrigation potential of 9.82 lakh hectares is estimated to have been created during 2009-10 up to March 2010.

As per the prevailing AIBP guidelines, projects benefiting drought prone/tribal area, projects included in the Prime Minister's relief package for agrarian distress districts of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala and projects in the States having irrigation development below national average could be included in AIBP in relaxation to one to one criteria of inclusion of new project under AIBP. Of the 65 major/medium projects initially included in the Prime Minister's relief package for agrarian distressed districts of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra, so far 40 projects have been funded under AIBP. The grant released so far for these projects is ₹ 5155.1307 crore.

A Budget allocation of ₹ 9200 crore has been made by the Ministry of Finance for AIBP for 2010-11 which includes ₹ 2200 crore for National Projects.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)

The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) launched in 2005-06 to encourage cities to initiate steps to bring about improvement in the existing civic services levels in a sustainable manner. JNNURM consists of two Sub-Mission.

- (i) Urban Infrastructure and Governance
- (ii) Basic Services to the Urban Poor

I. Urban Infrastructure and Governance

The components under the sub-Mission Urban Infrastructure & Governance (UIG) include urban renewal, water supply (including desalination plants), sanitation, sewerage and solid waste management, urban transport, development of heritage areas, preservation of water bodies, etc. The allocation for JNNURM (UIG) has been increased to ₹ 31,500 crore from ₹ 25,500 crore and to ₹ 11,400 crore from ₹ 6,400 crore in respect of UIDSSMT (Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns) in February, 2009.

The Mission follows two track strategies:-

- (i) Track I consists of the main Mission (JNNURM) for integrated development in 65 identified cities.
- (ii) Track II consists of UIDSSMT and IHSDP for catering to other cities.

To avail of the assistance under UIG, cities have to prepare City Development Plans (CDPs), prepare Detailed Project Reports (DPRs) and State Governments and Urban Local Bodies have to sign Tripartite Memorandum of Agreement (MoA) with Central Government. The MoA should indicate commitments and milestones to be achieved in the implementation of reforms at the State & ULB levels.

Financing Pattern under UIG

Depending upon population, geographical location of the cities and category to which a city belongs, funds are provided as indicated below:-

Category of Cities	Central Share(Grant)	State/ULB/Parastatal share, including beneficiary contribution
Cities with 4 million plus population as per 2001 Census	35%	65%
Cities with million plus but less than 4 million population as per 2001 census	50%	50%
Cities/towns in North Eastern States and J & K	90%	10%
Other Cities	80%	20%

(b) Under UDSSMT, the pattern of funding is 80:10:10 with Central share being 80% and State & ULB share being 10% each. In case of North East and J&K, the pattern of funding is 90:10 with 90% being Government of India Share 10% being State Share. The funds are released by Govt. of India in two installments.

DETAILS OF PROGRESS UNDER UIG AND UIDSSMT SINCE THE INCEPTION OF JNNURM

Cumulative (up to 31.01.2011) from 2005-2006

S. No.	Items	UIG	UIDSSMT
1.	Number of projects approved	526	764
2.	Total approved Project Cost	₹ 60,215.44 Crore	₹ 12,928.93 Crore
3.	Number of States/UTs for which projects approved (out of 31 States/UTs)	30	31
4.	Number of cities for which projects approved	62	641
5.	Total ACA committed	₹ 27,878.33 Crore	₹ 10,435.93 Crore
6.	Central Share (ACA) released	₹ 11,935.65 Crore	₹ 7,126.71 Crore

OUTCOMES (UIG & UIDSSMT)

- o 65 Mission cities have prepared comprehensive City Development Plans, charting out their long-term visions, and goals in urban governance and development. These plans also include investment plans, with a focus on provision of city-wide urban infrastructure services such as water supply, sanitation, drainage and provision of basic services to the urban poor.
- o The Memorandum of Agreement in respect of the reforms agenda to be undertaken by States & Cities has been negotiated and signed with 65 Mission cities.
- o By 31st January, 2011, 84 numbers of projects related to water supply, Roads Flyovers/RoB, Drainage/Storm water Drains, Sewerage, Urban Renewal, Solid Waste Management were completed under UIG, and 126 numbers of projects related to Water Supply, Solid Waste Management, Storm Water Drainage, Urban Renewal, Water Bodies and Road sectors were completed under UIDSSMT. These projects aim at provision of better water supply, improved road networks, better drainage and sewerage system etc.

II. Basic Services to Urban Poor (BSUP)

The Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and the Integrated Housing and Slum Development Programme under JNNURM were launched for the integrated development of housing and basic services to slum dwellers. Central assistance under BSUP and IHSDP is provided to States for implementation of the projects approved by the Central Sanctioning & Monitoring Committee (for BSUP) and Central Sanctioning Committee (for IHSDP). Central share in the form of Additional Central Assistance is released from Ministry of Finance (to States) and Ministry of Home Affairs (to Union Territories). Since the inception of JNNURM in December, 2005 and upto 31.12.2010, a total of 1443 projects have been approved under BSUP and IHSDP. On completion of these projects 1543747 dwelling units would be constructed. As on 31.12.2010, 373381 houses have been completed and 455524 dwelling units are in progress. Out of the total BE of ₹ 3373.03 crore for BSUP and IHSDP together for the financial year 2010-11, ₹ 1203.45 crore has been approved for release as on 24.12.2010. During the same period Central assistance to the tune of ₹ 500.74 crore has been released to the States and Union Territories.

Funding

The Central fund is released as Additional Central Assistance (in the form of grant). The financing of the projects is as under:

Category of Cities	Central Share (Grant)	State/ULB/Parastatal share, including Beneficiary contribution.
Cities with 4 million plus population as per 2001 Census	50%	50%
Cities with million plus but less than 4 million population as per 2001 census	50%	50%
Cities/towns in North Eastern States and J&K	90%	10%
Other Cities	80%	20%

The sharing of funds under IHSDP is in the ratio of 80:20 between Central Government and State Government/ULB/Parastatals. For special category States, the funding pattern between Centre and States will be in the ratio of 90:10. The Central fund is released as Additional Central Assistance (grant). As in the case of BSUP, signing of a tripartite MOA is a necessary condition for accessing Central assistance.

Beneficiaries under BSUP and IHSDP

The targeted beneficiaries under BSUP and IHSDP are slum dwellers/urban poor. While a minimum 12% beneficiary contribution is stipulated under BSUP and IHSDP, in the case of SC/ST/OBC and other weaker sections it is 10%.

As part of the policy initiatives under JNNURM, a new scheme titled "Affordable Housing in Partnership" has been launched as part of the BSUP.

The Budget allocation proposed for 2011-12 is ₹ 3373.03 crore (₹ 2357.60 crore under BSUP and ₹ 1015.43 crore under IHSDP).

Details of progress under BSUP and IHSDP

1. During FY 2009-10 (from 1.4.2009 to 31.3.2010) :

	BSUP	IHSDP
1. No. of projects approved	14	118
2. Total project cost approved	₹ 1400.34 crore	₹ 999.66 crore
3. No. of DUs approved for Construction / upgradation	29105	46655
4. Central share released (Total inclusive PMU, PIU, etc.)	₹ 1338.37 crore	₹ 780.72 crore
5. States covered	5	18
6. Cities covered	9	114

2. (a) Performance during first 9 months of 2010-11 (1.4.2010 to 9.2.2011) :

	BSUP	IHSDP
1. No. of projects approved	6	34
2. Total project cost approved	₹ 1622.33 crore	₹ 582.28 crore
3. No. of DUs approved for Construction / upgradation	32194	21933
4. Central share released (Total inclusive PMU, PIU, etc.)	₹ 1197.56 crore	₹ 447.04 crore
5. States covered	3	4
6. Cities covered	3	34

National Rural Health Mission (NRHM)

Goals and Strategy

The National Rural Health Mission, launched in April, 2005 aims to provide accessible, affordable and accountable quality services to the rural poor. The objectives of the Mission include reduction in child and maternal mortality, universal access to public healthcare services, prevention and control of communicable and non-communicable diseases, population stabilization, revitalization of local health traditions, mainstreaming AYUSH and promotion of healthy life style.

The thrust of the Mission is on establishing a fully functional, community owned, decentralized health delivery system with inter-sectoral convergence at all levels. From a disease centric approach, the NRHM attempts to shift the focus to a functional health system. The Mission intends to achieve the targets set in the National Health Policy 2002, Eleventh Five Year Plan and move towards the targets set in Millennium Development Goals.

The targets set to be achieved under the NRHM by the end of the Mission i.e. 2012 are as follows:

- IMR to be reduced to 30/1000 live births by 2012.
- Maternal Mortality Ratio to be reduced to 100/100,000 live births by 2012.
- Total Fertility Rate to be reduced to 2.1 by 2012.
- Malaria Mortality Reduction Rate by 50% upto 2010, additional 10% by 2012.
- Kala-Azar Mortality Reduction Rate- 100% by 2010 and sustaining elimination.
- Filariasis /Microfilaria Reduction Rate – 70% by 2010, 80% by 2012 and elimination by 2015.
- Dengue Mortality Reduction Rate – 50% by 2010 and sustaining at that level.
- Cataract operations to be increased to 46 lakh by 2012.
- Leprosy Prevalence Rate to reduce from 1.0 per 10,000 in 2005 to less than 1 per 10,000 thereafter.
- Tuberculosis DOTS series-maintain 85% cure rate through entire Mission period and also sustain planned case detection rate.
- Upgrading all Community Health Centres to Indian Public Health Standards.
- Increase utilization of First Referral Units from bed occupancy by referred cases of less than 20% to over 75%.
- Engaging 6, 00,000 female Accredited Social Health Activists (ASHAs).

The total outlay for NRHM during the Eleventh Plan was fixed at ₹ 90558 crore. The total outlay for NRHM during the year 2011-12 is ₹ 17840 crore under Department of Health & Family Welfare.

The expenditure incurred under the Flagship Programme “NRHM” is as per the details below:

2005-06	-	₹ 6284.58 crore
2006-07	-	₹ 7486.62 crore
2007-08	-	₹ 10380.40 crore
2008-09	-	₹ 11260.18 crore
2009-10	-	₹ 13305.76 crore
2010-11	-	₹ 11927.12 crore (as on 24 th February 2011-provisional)

The budgetary provisions for 2011-12, achievements based on latest information against targets set for 2010-11 under the different components of the Mission are given below:

1. Mission Flexi Pool (₹ 5590 crore) seeks to strengthen the institutional structure and provide an effective link between the community and healthcare facilities at the grass root level. Selection and training of Accredited Social Health Activities (ASHAs) acting as a link is critical. As on December, 2010, 8.43 lakh Accredited Social Health Activists (ASHAs) have been selected in the country, of which over 8.06 lakh received training up to 1st Module, 7.35 lakh in Module II, 6.83 lakh in Module III, 6.7 lakh in Module IV and 3.46 lakh in Module V. Over 6.12 lakh ASHAs have been positioned after training and provided with drug kits. Rogi Kalyan Samitis have been established in 599 district Hospitals, 4210 Community Health Centres/ Sub-divisional Hospitals and 17097 Primary Health Centres.

Mobile Medical Units are operational in 381 districts. 1.45 lakh Sub-Centres have been made more effective through utilization of untied funds, availability of drugs and Auxiliary Nurses Midwives (ANMs). 9120 PHCs are functioning as 24x7 basis. To fill up the gap of human resources at various health facilities in rural areas, 9856 doctors including specialists and 26734 Staff Nurses were appointed on contract.

2. Pulse Polio Immunization Programme (₹ 691 crore) aims at eradication of polio. The year 2010 has been a landmark in polio eradication with introduction of bivalent vaccine (bOPV) in the country and the number of polio case decreasing to 42 as compared to 741 cases in 2009. This is the lowest number of polio cases ever reported in the country since beginning of the polio eradication programme. In 2010, two National Immunization Days (NIDs) and six Sub-National Immunization Days (SNIDs) have been conducted. The NID rounds covers approximately 170 million children and SNID rounds cover 40-80 Million children. In addition, large scale multi-district mop-ups have been conducted in response to detection of wild type poliovirus cases.

3. Routine Immunization (₹ 541 crore) aims at reduction in morbidity and mortality due to vaccine preventable diseases. As per Health Management Information System (HMIS) reports for 2010-11 (up to January 2011), the achievements are: BCG-71.4%, Measles-87.3%, DPT 3-87.4% and OPV-87.4%. It has been decided to expand Hepatitis B vaccine throughout the country. Japanese Encephalitis (JE) vaccination has been completed in 100 districts and it is being extended to another nine more districts.

4. Reproductive Child Health Flexible Pool (₹ 4300 crore) aims at operational support to States for institutional strengthening and effectively designing programmes for reducing Maternal Mortality Ratio, Infant Mortality Rate (IMR) and Total Fertility Rate (TFR). Under Janani Suraksha Yojana, cash assistance has been provided to 100.78 lakh beneficiaries in 2009-10 and 50.29 lakh beneficiaries in 2010-11 (up to September 2010).

5. Information, Education and Communication (₹ 180 crore): Attention has been given to the communication strategy to achieve behavioural change through multimedia with focused interaction within target groups. Main activities include branding of NRHM through TV & Radio, effective use of satellite and private channels, use of innovative IEC strategies at State and District levels, NRHM Newsletter and introduction of intra-communication model for effective communication.

6. Infrastructure Maintenance (₹ 4280 crore): Under Infrastructure Maintenance, the Grants in Aid is released to States/UTs for the Schemes (i) Direction & Administration (State & District FW Bureau), (ii) Maintenance of sub-centres (salary of ANM/LHV), (iii) Urban Family Welfare Centres, (iv) Urban Revamping Scheme (Health Posts), (v) Training of ANM/LHVs, (vi) Maintenance & Strengthening of Health & FW Training Centres (HFWTCs), and (vii) Training of MPWs (Male).

2. Disease Control Programme

(a) National Vector Borne Diseases Control Programme (₹ 520 crore)

Malaria- During 2010, 1.5 million cases with 767 deaths have been reported till December, 2010. Various steps have been taken to reduce incidence of Malaria.

Lymphatic Filariasis – To achieve elimination of Lymphatic Filariasis, Annual Mass Drug Administration was launched in Filaria endemic States and UTs. During 2009, Mass Drug Administration (MDA) round has been observed in 18 States/UTs except Assam and Uttar Pradesh. The coverage achieved in these states for MDA was 86.61% against the targeted population. MDA 2010 round have been completed in 12 States / UTs.

Japanese Encephalitis – During 2009, 4482 cases and 774 deaths due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) were reported. During 2010 (up to December, 2010), 5141 cases of AES and 682 deaths have been reported. To reduce frequency of outbreaks and Case Fatality Rate (CFR), diagnosis has been strengthened by establishing 50 sentinel surveillance sites.

Dengue/ Chikungunya – To reduce frequency of outbreaks of Dengue/ Chikungunya and Case Fatality Rate (CFR), various sentinel surveillance hospitals were established and it is being expanded in other hospitals as well.

Kala-azar – Kala-azar is endemic in 52 districts of four endemic states of Bihar, Jharkhand, West Bengal and Uttar Pradesh. During 2010 (upto December 2010; provisional), 28382 cases and 98 deaths have been reported. Intensified efforts were made to detect new cases of Kala-azar and to complete their treatment.

(b) National Leprosy Eradication Programme (₹ 44.02 crore)

32 States/UTs have already achieved elimination (i.e achievement of prevalence rate less than 1 case per 10,000 populations) of Leprosy. Remaining three States /UT viz. Bihar, Chhattisgarh and Dadra & Nagar Haveli have a prevalent rate of more than 1 case per 10000 population.

(c) National TB Control Programme (₹ 400 crore)

During 2009-10, the programme has achieved the new sputum positive case detection rate of more than 72% and treatment success rate of 87% which is in line with the global targets for TB control.

(d) Integrated Disease Surveillance Programme (₹ 63 crore)

Surveillance Units have been established in all States/UTs, thus the whole country is covered by IDSP.

(e) National Programme for Control of Blindness (₹ 290 crore)

During 2009-10, 59.06 lakh cataract surgeries were performed with 95% Intra ocular lens (IOL) implantation, 5.05 lakh free spectacles provided to school children with refractive errors, 46,589 donated eyes collected for corneal implantation. During 2010-11 (upto 31st December 2010), 27 lakh cataract surgeries have been performed with 95% IOL implantation, 1.13 lakh free spectacles provided to school children with refractive errors, approximately 22000 donated eyes collected for corneal implantation.

Projected outputs for 2011-12 (to be achieved by March 2012)

- Village Health and Sanitation Committee (VHSCs) to be constituted in all the villages and given untied funds.
- 2nd ANM to be provided in all the sub centers identified for institutional deliveries
- 1300 Primary Health Centres to be made 24X7 during 2011-12.
- 500 CHCs to be upgraded as First Referral Units.
- All District hospitals to be strengthened
- 1000 Doctors, 2500 Staff Nurses, 1000 Paramedical Staff to be recruited on contract basis.
- Hospital Development Committees to be operationalised at the level of PHC and above in the remaining facilities.
- 100 % Health facilities to be given untied funds and annual maintenance grants.

Sarva Shiksha Abhiyan

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE) Act, 2009 and Article 21-A in the Constitution of India became operational on 1st April 2010. With this elementary education has become a fundamental right for all children in the 6-14 age group. Ministry of HRD had set up an Expert Committee on the Implementation of the RTE Act and the Resultant Revamp of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). On the recommendations of the Expert Committee, SSA norms have been revised to conform with the RTE norms and standards, including for example, pupil teacher ratio, teacher classroom ratio, etc. SSA's overall goals include universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in elementary education, and achieving significant enhancement in learning levels of children.

SSA covers all States and Union Territories and reaches out to an estimated 19.4 crore children in 12.3 lakh habitations in the country.

In the 11th Plan the funding pattern was on a tapering scale of 65:35 for the first two years of Plan, 60:40 for the third year, 55:45 for the fourth year and 50:50 thereafter. In respect of the NER States the funding is in the 90:10 ratio with the Central share sourced from the 10% earmarked funds for the NE States in the SSA's Central Budget. However, the Central Government has revised the funding pattern in respect of RTE-SSA programme for the period 2010-11 to 2014-15 w.e.f 1.4.2010 and will be as under:

(a) For States/Union Territories other than NE States

The funding pattern between the Central Government and States/UTs shall be in the ratio of 65:35.

(b) For 8 North Eastern States

For the 8 North Eastern States, the existing fund sharing pattern of 90:10 between the Centre and States would continue.

The Government has approved an outlay of ₹ 2,31,233 crore for implementation of the combined RTE-SSA programme for the five year period 2010-11 to 2014-15. Out of this, ₹ 24068 crore will be available to the States through 13th Finance Commission award and ₹ 207165 crore is to be shared between Centre and States in the ratio of 65:35 and in the ratio of 90:10 between Centre and North Eastern States.

An allocation of ₹ 21,000 crore has been provided for the RTE-SSA programme and the objective / outcome is as below:

Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables/ physical outputs	Projected outcomes
Improving access, enrolment, retention and quality of elementary education.	- Opening of 1000 primary schools & 5000 upper primary schools. - Recruitment of 2.0 lakh teachers. - Construction of 5.0 lakh additional classrooms.	Improved access to girls, SC, ST, OBC and minorities.

(a) Financial Progress:*(₹ in crore)*

Xth Plan Central Outlay	Central Expenditure
17000.00	27896.25

(₹ in crore)

Xlth Plan Outlay	BE 2009-10 (Central Share)	Expenditure incurred Central Share & State Share during 2009-10	BE 2010-11 (Central Share)	Expenditure incurred Central Share & State Share during 2010-11	BE 2011-12 (Central Share)	
Central** Share	71000	13100	12824.21	15000 +	15697.20*	21000
State Share	49000		7684.03	4000 (Supplementary Grant)	7579.31*	

* upto Dec, 2010

** ₹ 2,31,233 cr. for RTE-SSA for the period 2010-11 to 2014-15.

(b) Cumulative Targets and Achievements 2010-2011

Sl. No.	Items	Cumulative Targets including 2010-11	Achievement (upto 30.09.2010)
1.	Opening of Schools	366559	Opened 309727 (84.49%)
2.	Construction of school buildings	281943	Completed and in Progress 254935 (93.42%)
3.	Construction of additional classrooms	1277072	Completed and in Progress 1166868 (91.37%)
4.	Drinking water facilities	210529	Completed and in Progress 190961 (90.71%)
5.	Construction of Toilets	430881	Completed and in Progress 347857 (80.73%)
6.	Supply of Free Textbooks	9.93 crore (Annual)	Supplied 8.70 crore (88%)
7.	Teacher appointment	14.12 lakh	Completed 11.13 lakh (78.79%)
8.	Teacher training (20 days)	39.48 lakh	Completed 14.02 lakh (36%)

Cumulative achievements till 30.9.2010 against the targets show good progress with: 84.49% achievement in opening of schools, 91.37% in construction of additional classrooms, 90.71% in drinking water facility and 88% in supply of free textbooks etc. Achievements in teacher recruitment are slightly lower at 78.79%, but even this is relatively good.

Saakshar Bharat

In pursuance of the announcement of Hon'ble President made on 4th June, 2009 in the joint session of Parliament to recast the National Literacy Mission to make every woman literate in the next five years, Saakshar Bharat, a new variant of National Literacy Mission (NLM) has been launched by the Prime Minister on 8th September, 2009. It has been operationalised w.e.f. 1st October, 2009.

Saakshar Bharat has adopted volunteer based approach to impact basic literacy. It envisages to (i) achieve 80% literacy by the end of 11th Plan, (ii) to minimize regional disparities in literacy and (iii) to reduce gender gap in literacy to 10%.

Though the prime focus of Saakshar Bharat is on women, men are not excluded from its ambit. The share of funding between Central and State Government is in the ratio of 75:25 and in the case of North-Eastern States, including Sikkim, the ratio is 90:10.

It has been decided to implement the programme during the 11th Plan period in a phased manner. 365 districts having adult female literacy rate of 50% or less, as per census 2001, have been identified for implementation of programme during 11th Plan period. These 365 districts, covered under the criteria, have been identified in 25 States and one UT. Besides, it has also been decided to cover 35 left wing extremism affected districts, irrespective of their adult female literacy rate. The number of districts has now reached 375, as 25 left wing extremism affected districts have adult female literacy rate of less than 50% and are therefore already covered under 365 identified districts.

Saakshar Bharat has been operationalized within a period of six months from the decision of the Government to make every woman in the country literate. In view of the 73rd Constitutional amendment, Saakshar Bharat has to be implemented through Panchayati Raj Institutions. It has also been decided to implement the programme in a phased manner during the 11th Plan period. Accordingly, the Mission was rolled out in 167 districts in 19 States, covering over 81,000 Gram Panchayats during 2009-10. In all, 3.83 crore non-literate adults are expected to be benefited in these districts. The Government of India's share of ₹ 325.98 crore, as the first installment, was released by March, 2010. During 2010-11, 118 more districts have been brought under its umbrella. By doing so, 285 districts in 25 States and one UT have now been covered under Saakshar Bharat.

Progress w.r.t. setting up of Adult Education Centres (AEC) is as given below :

Year	Target *	Achievement
2009-10	25000	1000
2010-11	60000	65,559
2011-12	85000	103441**
	1,70,000	1,70,000

* As per CCA Note

** Proposed to be achieved

The process for release of Central Share for implementation of the programme in 118 districts during 2010-11 is in progress. An amount of ₹ 227.50 crores has already been sanctioned to 17 States to cover 1.96 crore non-literates in 1261 blocks/30787 GPs of 112 districts under Saakshar Bharat.

Saakshar Bharat provides for a Web based Management Information System (MIS) for real time monitoring, which is critical for optimizing the outreach and impact of the programmes. National Literacy Mission Authority (NLMA), State Literacy Mission Authority (SLMA) and District bodies will review the

progress at their respective levels. It provides for elaborate procedures for concurrent, summative and impact evaluation. Saakshar Bharat provides for openness and transparency in the entire evaluation process. Names and progress of each learner is required to be placed in the public domain.

Total outlay approved by Planning Commission for Saakshar Bharat during the 11th Plan is ₹ 5257 crores inclusive of GOI Share. Sharing pattern between Central and State Government is in the ratio of 75:25 and in the case of NER 90:10

A budget allocation of ₹ 1167 crores was made for implementation of the Scheme of Adult Education & Skill Development (Saakshar Bharat), for the year 2010-11. However, allocations have been revised to ₹ 388.50 crores in the RE 2010-11. BE 2011-12 is ₹ 488.50 crore.

**(a) Financial Progress :
(Adult Education)**

The outlay for the tenth plan was ₹ 1250 crore and Expenditure was ₹ 1148.04 crores.

The Eleventh Plan Central Outlay approved by Planning Commission was ₹ 5257 crore. Government of India share of ₹ 325.98 crore has been released to SLMAs during 2009-10.

(b) Cumulative Targets and Achievements 2010-11(upto December, 2010)

SI No.	Item	Targets	Achievement
1.	Implementation of Programme	To cover one crore illiterates under basic literacy programme.	Saakshar Bharat Programme has covered 285 districts to literate 5.79 crore non-literates in 2010-11
2.	Establishment of Education Centres	Adult To establish 25000 Education Centres	65,559 Adult Education Centres during 2010-11

National Programme of Mid Day Meal in Schools

The National Programme of Mid Day Meal in School popularly known as Mid Day Meal Scheme was extended to upper primary schools in 3479 educationally backward blocks w.e.f. October, 2007 and extended to all upper primary schools in Government and Government-aided schools in all the blocks across the country w.e.f. 01-04-2008. Presently, the programme covers all children studying in Classes I-VIII of Government, Government- Aided and Local Body Schools, National Child Labour Project Schools, Education Guarantee Scheme (EGS) and Alternative and Innovative Education (AIE) centre, including Madrasas and Maktabas supported under SSA. Mid day meal has a significant effect on school participation in terms of getting more children enrolled and also in terms of regular pupil attendance. Mid day meal can also act as a regular source of “supplementary nutrition” for children and can also help spread egalitarian values.

A comprehensive and elaborate mechanism for monitoring and supervision of the scheme has been evolved, where representatives of Gram Panchayats/ Gram Sabhas, members of Village Education Committees, Parent Teacher Associations as well as Mothers’ Committees are required to monitor the (i) regularity and wholesomeness of the mid day meal served to children, (ii) cleanliness in cooking and serving of the mid day meal, (iii) timeliness in procurement of good quality ingredients, fuel, etc, (iv) implementation of varied menu, (v) social and gender equity. Officers of the State Government/ UTs are also required to inspect schools and centers where the programme is being implemented. It has been recommended that 25% of primary schools/ EGS & AIE centers are visited every quarter. Forty two institutions of Social Science Research have been assigned the responsibility of monitoring the mid day meal scheme. The Department is also developing Management Information System through integration of Interactive Voice Response System (IVRS) to capture the data on real time basis, with help of NIC.

The total Plan Outlay for 11th Five Year Plan is ₹ 48,000 Crores. Budget Allocation for the year 2010-11 is ₹ 9,440 Crore. BE for 2011-12 is ₹ 10380 crore.

The objective/outcome, Quantifiable Deliverables/ Physical Output and projected outcomes are as below:-

Objective/Outcome	Quantifiable Deliverables/ Physical Outputs	Projected Outcomes
Implementation of the programme for children of elementary stage (classes I to VIII) studying in Government, Government aided , Local Body schools, Education Guarantee Scheme/Alternative & Innovative Education Centers and recognized Madrasas and Maqtabas as well as children under National Child Labour Projects and serving mid day meal during summer vacations in drought affected areas with the following objectives:—	(i) Regular provision of cooked mid-day meal to 11.36 Crore Children (7.97 Crores at Primary stage and 3.39 Crores at Upper Primary stage) in Govt., Govt.-aided, Local Body schools and EGS/AIE Centers including recognized Madrasas and Maqtabas supported under SSA as well as children of National Child Labour Projects.	Regular provision of cooked mid-day meal to all children in classes I-VIII in Govt. and Govt.-aided elementary schools and EGS/AIE Centers including recognized Madrasas and Maqtabas as well as children of National Child Labour Projects, in a hygienic condition, so that nutritional status of children is improved.
(i) to address hunger in schools by serving hot cooked meal.	(ii) Construction of Kitchen-cum Stores in 8.50 lakh schools has been sanctioned from 2006-07 to 2009-10.	
(ii) To improve nutritional status of children.	(iii) Procurement of Kitchen Devices in 11.25 lakh schools has been sanctioned from 2006-07 to 2009-10.	
(iii) To encourage poor children, belonging to disadvantaged sections, to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities.	(iv) Development of MIS with integration of IVRS in 2011-12.	
(iv) To provide nutritional support to children in drought-affected areas during summer vacation.		

(a) Financial Progress:-*(₹ in Crore)*

Xth Plan Central Outlay 5900.00			Central Expenditure 13747.38
XIth Plan Central Outlay approved by Planning Commission 2009-10 (8000.00)			Central Expenditure during 2009-10 6937.26 lakh against the allocation of '8000.00 crores during 2009-10.
BE 2010-11	RE 2010-11	Central Expenditure as on 31.01.2011	Reason for low expenditure
9440.00	9440.00	8345.83	(i) Expenditure is 88.40 %. The NER States have been allocated 10% of the allocation i.e. ₹ 9440.00 crores. Some savings will occur under this head of account because the population to be covered under the scheme is only 5.6% of the total coverage approved by PAB-MDM. This saving is proposed for utilisation for creation of Capital Assets for NER States. ₹ 40.00 crores have been re-appropriated for creation of capital assets in NER States. The proposal for re-appropriation of ₹ 450.00 crores for this component has been submitted to Finance Division.

(b) Targets and achievement 2010-11

S. No.	Items	Targets	Achievement	Reasons for low achievement
1.	No. of Children Covered under the scheme	11.36 Crore children (7.97 Crore at primary stage and 3.39 crore at upper primary stage)	10.59 crores (7.39 crores at primary stage and 3.20 crores at upper primary stage) This is 93% of the target.	Achievement is dependent on the attendance of children in schools.
2.	Construction of Kitchen-cum-Store	8,50,313	4,16,022	The cost of construction of kitchens –cum– stores has been revised w.e.f 1.12.09. The central assistance towards the construction of Kitchen-cum-Stores is now being provided on the basis of plinth area norms and State scheduled rates prevalent in the State. The reason for low achievement under construction of Kitchen cum Stores is that the States/UTs are unable to construct the Kitchen-cum Stores @ ₹ 60,000/- per unit which has been provided as Central Assistance to States/UTs previously i.e @ ₹ 60,000 per Kitchen-cum-store prior to revision of norms for construction of Kitchen cum Stores.

Targets for 2011-12

S. No.	Items	Targets
1.	No. of Children to be Covered under the scheme	To ensure regular supply of mid day meal to the 11.36 Crore children (7.97 Cr. at Primary Stage and 3.39 Cr. at Upper Primary Stage)
2.	Release of Central assistance	To ensure timely release of Central assistance to all States / UTs.
3.	As per 2 nd quarterly progress report (till 30.09.2010) Construction of Kitchen-cum-Store	4,34,291 yet to be constructed against the total sanction of 8,50,313 till 2009-10. Approximately 4 lakhs kitchen-cum-store are yet to be sanctioned to the States/UTs.
4.	As per 2 nd quarterly progress report (till 30.09.2010) Procurement of Kitchen Devices	3,01,511
5.	Development Management Information System with Integration of Interactive Voice Response System to capture data on real time basis.	The Management Information System with Integration of Interactive Voice Response System will be developed by December, 2011

Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme

Launched on 2nd October 1975 in 33 Community Development Blocks, ICDS today represents one of the World's largest programmes for early childhood development. ICDS is the foremost symbol of India's commitment to her children. It seeks to provide an integrated package of health, nutrition and educational services to children up to six years of age, pregnant women and nursing mothers. They are presently reached through a network of more than 22 lakhs Anganwadi Workers/Helpers through more than 11.95 lakh Anganwadi Centres. A package of six services are provided under the scheme namely i) supplementary nutrition, ii) non-formal pre-school education, iii) nutrition and health education (through ICDS personnel) and iv) immunization, v) health check-up, vi) referral services (in convergence with Health Systems).

In order to universalize the scheme, the Government has approved additional 792 projects and nearly 3 lakh Anganwadi Centres, taking the total projects to 7076 and Anganwadi Centres/Mini Anganwadi Centres to 14 lakh, including 20,000 Anganwadi on demand. From the financial year 2009-10, Government of India has modified the funding pattern of ICDS between Centre and States. The sharing pattern of all components except supplementary nutrition has been changed to 90:10 between the Centre and States/UTs. For SNP, the ratio of 50:50 continues except for North-Eastern States, where it has been changed to 90:10. The allocation for ICDS has gone up from ₹ 8700 crore in 2010-11 to ₹ 10,000 crore in 2011-12 which also includes ₹ 1035.81 crore for implementing the scheme in North Eastern States.

The objectives of ICDS Scheme, quantifiable deliverables/physical outputs, projected outcome and processes/Timelines including remarks for 2011-12 are given below:

Objective/Outcome	Proposed Outlay 2011-12	Quantifiable Deliverables/ Physical Outputs	Projected Outcome	Processes/ Timelines	Remarks/ Risk factors
1	2	3	4	5	6
i) To improve the nutrition and health status of children in the age group of 0-6 years;	₹ 10000.00 cr	1. No. of ICDS Projects to be made operational (cumulative) by March 2012 : 7050	Reduction in malnutrition. Targets for number of beneficiaries under supplementary nutrition & pre-school education are not fixed by Government of India since States/ Uts are required to provide these services to all eligible beneficiaries viz. children below 6 years and pregnant & lactating mothers . The following projected outcome/ targets have been fixed for the review purpose only.	1. Status to be reviewed and monitored on progress of operationalisation through Monthly/ Quarterly Progress reports and meetings.	1. States need to show deeper commitment to operationalize all AWCs, release State shares , promptly make available the funds released by GOI along with State share, fill up all vacant posts and undertake extensive IEC activities.
ii) To lay the foundation for proper psychological, physical and social development of child;		2. No. of Anganwadi Centre (AWCs)/ Mini-AWCs to be made operational (cumulative) by March 2012 : 13.4 lakhs		2. Increasing awareness , training & IEC activities.	
iii) To reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout;		3. Release : Expenditure of 90% to 100% of Budget Estimate during 2011-12.			2. States need to ensure better delivery processes especially uninterrupted supply of SNP. The guidelines of feeding and financial norms
iv) To achieve effective coordination of policy and		4. To achieve the objective / outcome, delivery of a package of six services namely i) supplementary	1. Number of beneficiaries of children (6 month-6 years) to receive supplementary nutrition = 8.63 crore		

Objective/Outcome	Proposed	Quantifiable Outlay	Projected Deliverables/	Processes/ Outcome	Remarks/ Timelines
Risk	2010-11	Physical Outputs			factors
1	2	3	4	5	6
implementation amongst the various departments to promote child development; and v) To enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.		nutrition, ii) non-formal pre-school education, iii) nutrition and health education (through ICDS platform) and iv) immunization, v) health check-up & vi) referral services (in convergence with Health Systems).are provided to target groups.	2. Number of beneficiaries of pregnant/ lactating mothers to receive supplementary nutrition = 1.90 crore 3. Number of beneficiaries of children (3-6 years) to attend pre-school education = 4.03 crore	3. Intense supervision and regular monitoring should be done. 4. Need to submit training plans by States in time, dissemination of information across all levels should be complete. 5. Involvement of PRIs, SHGs, NGOs in facilitating and reinforcing ICDS.	should be followed rigorously.

ACHIEVEMENT DURING 2010-11*

Quantifiable Targets	Target (2010-11)	Achievement (2010-11)*
1. No. of ICDS Projects to be operationalized	7000	6719 (cumulative)
2. No. of Anganwadi Centres to be operationalized	12.80 lakh (cumulative)	12.42 lakh (Cumulative)
3. No. of beneficiaries – Supplementary Nutrition	Children: 8.63 crore Mothers: 1.88 crore	Children: 7.51 crore Mothers: 1.67 crore
4. No. of Pre-school education beneficiaries	4.03 crore	3.55 crore

*Upto 31.12.2010

Reasons for shortfall :

Item 1 & 2 : After sanction from Govt. of India, the operationalisation of ICDS Projects and Anganwadi Centres is to be done by the States/UTs. Due to Administrative / Financial/ legal difficulties faced by States ,there has been some delay in sanction and operationalisation.

Item 3 & 4 : Since ICDS is a Self Selecting Scheme and population norms per AWC has been downscaled, the improvement in number of beneficiaries would happen with better delivery and investment on infrastructure and human resource.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)

The objective of the Mahatma Gandhi NREGA is to provide enhanced livelihood security to the households in rural areas by providing 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to any household whose adult members are willing to do unskilled manual work. The Act has come into force in 200 notified Districts of the country with effect from 2nd February, 2006 and additional 130 districts from 2007-08. All the remaining districts of the Country have been brought in the ambit of the Act from 1st April, 2008. The statutory commitment, to cover all districts of the Country within five years of the implementation of the Act, has thus been fulfilled.

The Mahatma Gandhi NREGA is a demand based programme, hence, requirement of funds and employment generation depends on demand for work. However, the financial outlay (B.E.) under Mahatma Gandhi NREGA for 2010-11 is ₹ 40,100.00 crore. Schedule I, paragraph 1, sub para (iv) of National Rural Employment Guarantee Act 2005, has been amended as per MoRD Notification dated 22nd July, 2009, to provide for "irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the "Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008." Under Schedule I, para 1, sub para (iv) of National Rural Employment Guarantee Act 2005, the following has been notified: "Construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as Village Knowledge Resource Centre and Gram Panchayat Bhawan at gram panchayat level". Overall performance under the programme is as under:

S.No.	Indicators	2006-07 (200 Distts.)	2007-08 (300 districts)	2008-09 (615 districts)	2009-10 (619 districts)	2010-11 (619 Distts) upto Dec. 2010
1	Employment provided to Household (crores)	2.10	3.39	4.51	5.26	4.10
2	Person days generated					
	Total (crores)	90.5	143.59	216.32	283.59	145
	SCs	22.95(25 %)	39.36(27%)	63.36(29%)	86.45(30%)	32.65(23%)
	STs	32.98 (36%)	42.07(29%)	55.02(25%)	58.74(21%)	24.83(17%)
	Women	36.79 (41%)	61.15(43%)	103.57(48%)	136.40(48%)	72.93(50%)

During 2010-11 (upto Dec, 10) wage employment was provided to 4.10 crore households and total employment of 145 crore person days was generated in 625 districts covered under Mahatma Gandhi NREGA. This works out to an average employment of 35 days per household. Of the total employment generated under the programme 23%/17% of person days of employment were availed by SC/STs. The share of women in the employment generation was 50% during the year.

In pursuance to the announcement by Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech 2009 to provide a real wage of Rs 100/- a day as an entitlement under the Mahatma Gandhi NREGA, the Government of India has set up a Committee under the Chairmanship of Dr. Pronab Sen, Advisor, Planning Commission for developing index for fixing MGNREGA wage rates and its periodic revision. Its report is awaited. Till such time that a satisfactory index is proposed by Dr. Sen Committee and accepted by the Government, the Government of India has taken a decision to index wage rate notified under MGNREGA to the Consumer Price Index for Agricultural Labour and accordingly issued the notification dated 14/1/2011 in the Gazette

of India, Extraordinary, notifying the revised wage rates under sub-section (1) of Section (6) of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

One of the objectives of Mahatma Gandhi NREGA is to create durable assets through works pertaining to watershed approach, land development, flood control and protection and rural connectivity. 68.60 lakh works were undertaken out of which 50% pertain to water conservation, while others pertained to afforestation, land development and rural connectivity etc.

The management of the scheme is being made more transparent by placing all data on the web-enabled Mahatma Gandhi NREGA MIS. Social Audits are conducted for public scrutiny of the outcomes of the scheme.

Mahatma Gandhi NREGA is demand based legislation. The person days generated is a function of demand for employment. Therefore, the outcome will be actual person days generated on household demand.

National Rural Drinking Water Programme

'Safe Drinking Water to Rural India' is one of the components of Bharat Nirman which aims at providing safe drinking water to all habitations in rural India by 2012. Government of India's major intervention in water sector is the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) (erstwhile Accelerated Rural Water Supply Programme) for assisting States/ UTs to universalize the coverage of drinking water supply. As per the latest information available, the full coverage of rural habitations with safe and adequate water supply is about 75%. This is inclusive of constant slippages of habitations from fully covered status due to reasons like over-exploitation of ground water, neglect of surface water sources and rainwater harvesting, etc. The constant lowering of ground water table has brought about another dangerous consequence in the sector viz. leaching of highly toxic chemical contaminants such as arsenic and fluoride. Another important reason for slippage of habitations was over-dependence on a single source viz. ground water in the rural areas (85%) as opposed to surface water sources in urban areas.

2. In the NRDWP, there is a shift in focus from coverage of habitations to universal coverage of households. As per the NSSO 65th Round Survey (2008-09), more than 90% of rural households have access to safe drinking water sources.

3. During 2010-11 a total 1,21,812 habitations (376 uncovered, 80,342 slipped back and 41,094 quality affected) are targeted to be covered. Against this target 71,141 (168 uncovered, 57,812 slipped back and 13,161 quality affected) habitations have been covered as on 31st January, 2011. All 376 uncovered and 80,342 slipped back habitations are expected to be covered by the end of 2011-12. 36,496 Government rural schools are targeted to be provided water supply in 2010-11 of which so far 15065 have been covered as per the online reporting system of the Department.

Targets/ Outcomes 2011-12

During 2011-12 a provision of ₹ 9350 crore has been made for providing safe drinking water. The meetings to discuss the Annual Action Plan of the States have been scheduled to be held in March, 2011. In the meetings with the States, the targets of coverage of habitations will be finalized. Based on 2010-11 possible achievements, it is expected that 85,000 partially covered habitations and about 35,000 quality affected habitations may be targeted for coverage during 2011-12 subject to final targets intimated by States.

Total Sanitation Campaign

The Central Rural Sanitation Programme (CRSP), was launched in 1986 in the Ministry of Rural Development with the objective of improving the quality of life of rural people and to provide privacy and dignity to women. The concept of sanitation was expanded in 1999 to include personal hygiene, home sanitation, safe water and garbage, excreta & wastewater disposal. Thus the revised programme aimed at an integrated approach of rural sanitation named as Total Sanitation Campaign(TSC) with following principles:

TSC Principles

- Demand Driven
- Community Driven & People centered
- Campaign mode approach
- Focus on IEC
- Alternative delivery mechanisms (Rural Sanitation Marts/Production Centres)
- Strong focus on school sanitation and hygiene promotion
- Involvement of co-operatives, women groups, self help groups, youth clubs, NGOs, PRI etc.
- Cost sharing in construction of sanitation facilities.

TSC is being implemented in 607 districts covering 30 States/ UTs with an approved outlay of ₹ 20024.30 crore of which the Central, State and Beneficiary/ Panchayats/ PTA share is ₹ 13026.46, ₹ 4795.49 and ₹ 2202.35 crores respectively. An amount of ₹ 6279.24 crore towards Central share has so far been released. As on 31.12.2010, 729 lakh households have been provided support for building toilets, 20,134 Community Sanitary Complexes have been built, 10,45,942 toilet units have been provided to schools, 3,52,050 Anganwadi/ Balwadi toilets have been built and 8,399 Rural Sanitary Marts/Production Centre have been setup.

Targets/Outcome 2011-12

- (i) Full household coverage by 2015:** As far as sanitation is concerned, efforts are being made to complete present project objectives under TSC projects in the entire rural areas of the country by 2015. During the year 2011-12, one crore rural households approx. are expected to be covered with sanitation facilities.
- (ii) School coverage by 2012-13:** As part of the TSC implementation, greater thrust has been given to ensure 100 percent coverage of rural schools with toilet facilities by the end of 2012-13. The coverage will target all government schools in the rural areas with the funds available under the TSC. At least one toilet block will be provided in all rural schools by 2011-12. In all the co-educational schools, separate toilet blocks for girls will be constructed. Under TSC, 13.14 lakh toilet blocks have already been sanctioned and it is estimated that all toilet blocks in all schools will be completed by March, 2013.

In order to ensure good quality construction of school and anganwadi toilets as per plan and specifications and for timely implementation of the TSC to achieve the objective of total sanitation coverage in rural India, the Government has also enhanced the admissible cost of school and anganwadi toilets units w.e.f. 1st April, 2010.

During 2011-12, a provision of ₹ 1650 crore has been made for Total Sanitation Campaign (TSC).